आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखण्ड

के

संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्त्तव्य

(The particulars of the organistion, functions and duties)

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यवरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिये लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना नागरिकों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना का अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोगों का गठन करने और उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए भारतीय संविधान के अनुरूप सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया गया है। इस अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय उत्तराखण्ड के संगठनात्मक स्वरूप, विशेषतायें और कर्तव्य की संरचना निम्नवत् हैः–

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की स्थापना दिनांक 09–11–2000 को की गयी। जिसमें राज्य के विभिन्न कार्यकारी व्यवस्थाओं के अधीन उत्तराखण्ड शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय उत्तराखण्ड, जो 3/23 शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून में स्थापित हुआ के सृजन का निर्णय लिया गया।

निदेशालय की स्थापना :–

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय की स्थापना शासनादेश संख्या 3132/चि0सा0/2001–16(चि0)/2001 तद्दिनॉक दिनांक 01 अगस्त, 2001 (संलग्नक–1) के अन्तर्गत की गयी है। निदेशालय में शासनादेश संख्या संख्या 3369/चि0शा0/2001–16(चि0)/2001 एवं शासनादेश संख्या 2913/वि0सं0शा0 2001 दिनांक 26 मई, 2001 द्वारा निदेशालय का सुदृढीकरण किया गया। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश में आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन कार्य किये जाते थे, को समाहित करते हुए उत्तराखण्ड में उक्त संगठन के अधीन विधिक रूप से निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, को उन समस्त कार्यों का निर्वहन करने के लिये अधिकृत कर दिया गया है जो उत्तर

प्रदेश में निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किये जाते थे। विभाग के अर्न्तगत विभागीय ढॉचा निम्नवत् हैः–

उत्तराखण्ड एवं यूनानी सेवा निदेशालय, उत्तराखण्ड का संगठनात्मक ढांचा

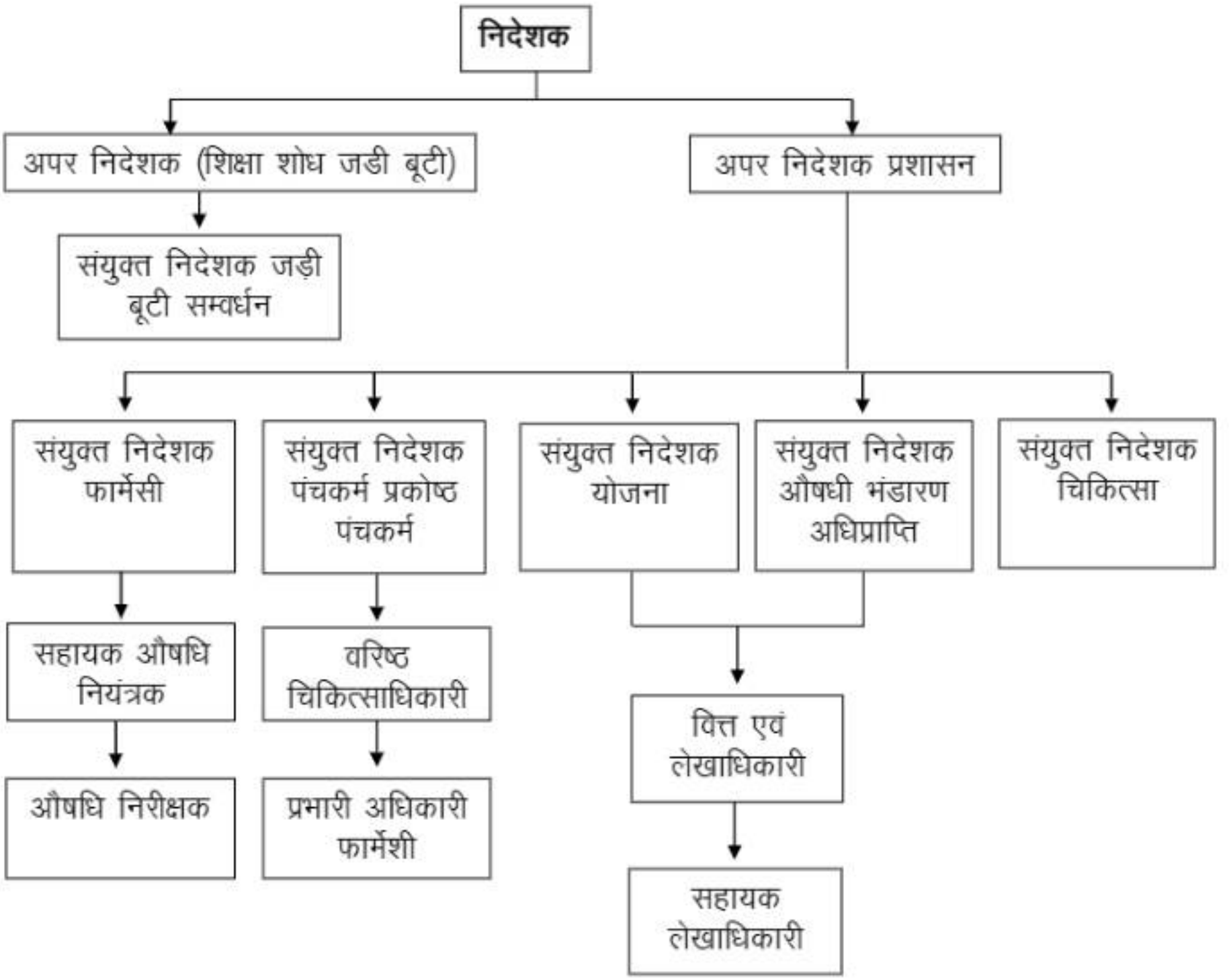

कृत्य और कर्तव्यः– निदेशालय स्तर पर कर्तव्य का बोध सुनिश्चित करने के लिये निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाए को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है, जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 एवं वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 पर आधारित है । राज्य स्थापना के ठीक बाद सेवा नियमावली न होने तथा प्रकिया स्पष्ट न होने के कारण विभागीय कार्यो के सम्पादनार्थ प्रथमतः क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालयों एवं राजकीय आयुर्वेदिक कालेजों के कार्यालय एवं पदाधिकारियों को इस निदेशालय में समाहित किया गया। राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों की भांति निदेशालय के अधिकारी एवं कर्मचारी भी आचरण नियमावली एवं सामान्य सेवा संबंधी नियमों प्रकियाओं एवं निर्देशों जो समय–समय पर कार्मिक एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा निर्गत किया जाता है, लागू है ।

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 के प्रस्तर 12 (डी) के अनुसार निदेशालय में अद्यावधिक प्रोन्नति न होने के कारण वरिष्ठता के आधार पर निदेशालय में अपर निदेशक, उपनिदेशक के पदों पर वरिष्ठतम राजपत्रित अधिकारियों को तैनात किया गया है। उक्तानुसार वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी न होने के कारण कार्यालयाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं, परन्तु देहरादून स्थित निदेशालय में उक्त नियम प्राविधान के अनुसार विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष भी होते हैं । वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के प्रस्तर 12 (डी) के नीचे अंकित टिप्पणी में यह प्राविधान है कि विभागाध्यक्ष यदि चाहे तो अपने अधीनस्थ किसी राजपत्रित अधिकारी को कार्यालयाध्यक्ष घोषित कर सकता है । जिससे वित्तीय नियमों में कार्यालयाध्यक्ष को प्रदत्त सभी कर्तव्य एवं दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय द्वारा आहरण और संवितरण के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी को आहरण वितरण अधिकारी घोषित करते हुए डी0डी0ओ0 कोड संख्या 2754 आवंटित किया गया है।

निदेशालय में नियुक्त अधिकारियों के कर्तव्य एवं दायित्व संबंधित सेवा नियमावली तथा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1 के अध्याय 18 ए के साथ–साथ समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं । निदेशक द्वारा क्षेत्रों से प्राप्त समस्त सूचना की समीक्षा कर शासन के चिकित्सा शिक्षा विभाग को प्रेषित करेंगे। समस्त विभागीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत रिर्पोट की समीक्षा करने तथा उसकी सूचना समुचित

स्तरों को भेजने का दायित्व निदेशक में निहित किया गया है । निदेशक द्वारा उनके अधीन नियुक्त अधिकारियों के कार्य की समीक्षा तथा वार्षिक प्रविष्टि हेतु प्रतिवेदक अधिकारी बनाया गया है। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के नियुक्त प्राधिकारी निदेशक स्वयं हैं उनके वार्षिक प्रविष्टि के प्रकरण में स्वीकृतकर्ता का दायित्व दिया गया है। निजी स्टाफ यथा वैयक्तिक सहायक, वाहन चालक तथा अर्दली (निदेशक से सम्बद्ध) के वार्षिक प्रविष्टि सीधे निदेशक द्वारा दिये जाने की प्रकिया है। निदेशक द्वारा समय–समय पर निदेशालय में नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारियों के मध्य कार्यावन्टन किया जाता है।

जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी

चिकित्सालय
↓
वरिष्ठ चिकित्साधिकारी
↓
चिकित्साधिकारी
↓
चीफ फार्मेसिस्ट
↓
फार्मेसिस्ट
↓
चतुर्थ श्रेणी

कार्यालय
↓
अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी
↓
मुख्य प्रशासनिक
↓
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
↓
प्रशासनिक अधिकारी
↓
प्रधान सहायक
↓
वरिष्ठ सहायक
↓
कनिष्ठ सहायक

समस्त आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशालायें (निजी, सार्वजनिक)

राज्य के प्रत्येक जनपदों में संचालित राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं जनपद में संचालित निजी क्षेत्रों में संचालित आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशालाओं का नियन्त्रण सम्बन्धित जनपद के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों का होता है। उक्त नियन्त्रण अधिकारियों के कार्यो एवं अधिकार क्षेत्रों की समीक्षा कठिनाइयों आदि के निवारण हेतु निदेशक द्वारा समुचित निर्देश/आदेश निर्गत किये जाते है।

1– राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में जनसामान्य के स्वास्थ्य एवं स्वस्थ्य रखने हेतु औषधियों, सामग्रियो तथा साज–सज्जा आदि की व्यवस्था किया जाना।

2– राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण एवं अनुरक्षण आदि की व्यवस्था किया जाना।

3– उत्तराखण्ड राज्य में निजी क्षेत्रों में स्थापित आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशालाओं के द्वारा संचालित ईकाइयों का निरीक्षण एवं उनके अनुज्ञा पत्रों का नवीनीकरण तथा नवीन अनुज्ञा पत्र निर्गत करते हुए गुणवत्ता युक्त औषधि के उत्पादन में सहायता।

4– राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास सम्बन्धी योजनाओं का क्रियान्यवन में सहयोग किया जाना।

5– राज्य की राजकीय औषधि निर्माणशाला के द्वारा निर्मित औषधियों को औषधि निर्माणशालाओं से प्राप्त कर राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में औषधियों की व्यवस्था किया जाना।

राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला

राज्य में आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियों के परीक्षण हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना हरिद्वार में की गयी है। जिसमें औषधियों की गुणवत्ता आदि का परीक्षण किया जाता है।

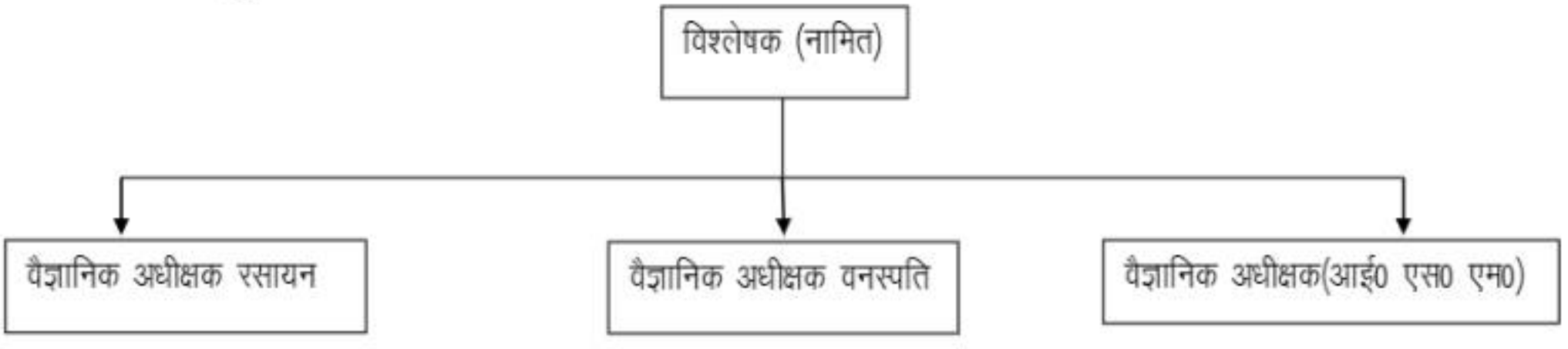

औषधि निर्माणशाला प्रयोगशाला

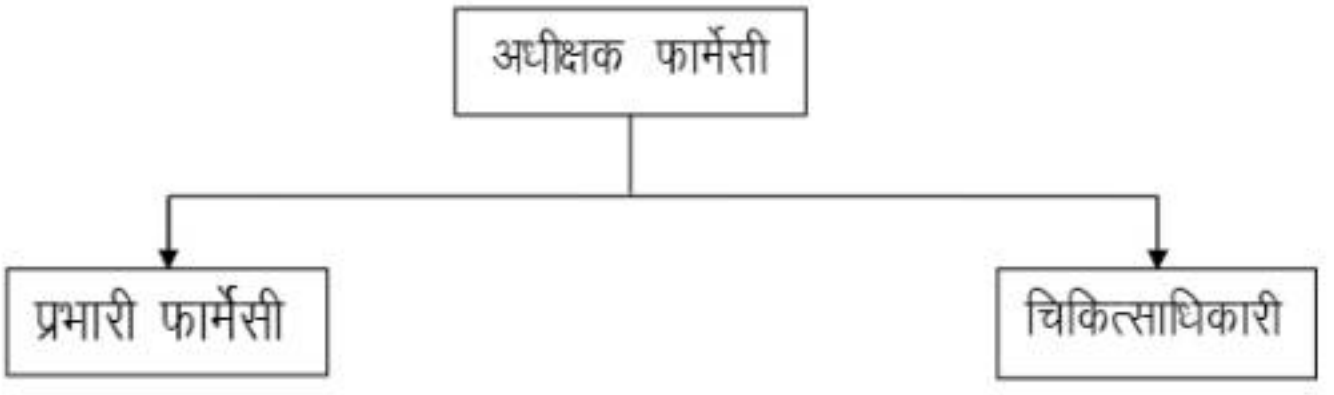

संलग्नक–1

संख्या 3369 / चि0शा0 / 2001–16(चि0) / 2001

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाऐं,
उत्तरांचल देहरादून ।

चिकित्सा विभाग

देहरादून : दिनांक 01 अगस्त 2001

विषयः– आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तरांचल में स्थापित होने वाले नवगठित आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय की स्थापना किये जाने हेतु निम्न विवरणानुसार अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि(जो भी बाद में हो) से 28 फरवरी 2002 तक बशर्ते कि ये इससे पूर्व समाप्त न कर दिये जाये, सृजित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क्र0सं0	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1.	निदेशक	01 पद	रू0 16400–450–20000	विभागीय अधिकारी द्वारा भरा जाएगा।
2.	अपर निदेशक (शोध)	01 पद	रू0 12000–375–16500	
3.	उप निदेशक (शिक्षा / शोध)	01 पद	रू0 10000–325–15200	
4.	उप निदेशक (जड़ी–बूटी संवर्द्धन)	01 पद	रू0 10000–325–15200	
5.	उप निदेशक (चिकित्सा, योजना एवं प्रशासन)	01 पद	रू0 10000–325–15200	
6.	सहायक औषधि नियंत्रक	01 पद	रू0 10000–325–15200	
7.	लेखाधिकारी	01 पद	रू0 8000–275–13500	
8.	वैयक्तिक सहायक	01 पद	रू0 5500–175–9000	
9.	लेखाकार	01 पद	रू0 5500–175–9000	
10.	औषधि निरीक्षक	01 पद	रू0 5000–150–8000	
11.	कार्यालय अधीक्षक	01 पद	रू0 5000–150–8000	
12.	वरिष्ठ सहायक / वरिष्ठ	02 पद	रू0 4500–125–7000	

	डाटा–एन्ट्री आपरेटर			
13.	स्टेनों (आशुलिपिक) / डाटा एन्ट्री आपरेटर	01 पद	रू0 4000–100–6000	
14.	वरिष्ठ लिपिक / डाटा–एन्ट्री आपरेटर	02 पद	रू0 4000–100–6000	
15.	टंकक / कनिष्ठ लिपिक / डाटा–एन्ट्री आपरेटर	02 पद	3050–75–3950–80–4590	
16.	वाहन चालक (निदेशक के लिए)	01 पद	3050–75–3950–80–4590	
17.	अनुसेवक	04 पद	2550–55–2660–60–3200	
18.	चौकीदार	01 पद	संविदा पर।	
	कुल	**24 पद**		

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे ।

भवदीय

आलोक कुमार जैन
सचिव

संख्या 3369 / चि0शा0 / 2001–16(चि0) / 2001 तद् दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
2. शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
4. निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. राजकीय मुद्राणालय, रूडकी (हरिद्वार) को आतिरिक्त प्रति के साथ गजट हेतु प्रकाशनार्थ।
6. अपर सचिव, गोपन विभाग, उत्तरांचल शासन।
7. वित्त विभाग, उत्तराचंल शासन।
8. कोषाधिकारी, देहरादून।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऊषा शुक्ला)
संयुक्त सचिव

संख्याः–1380/XXVIII-1-(4)-2008- 50 /2007

प्रेषक,

केशव देसिराजु,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–4(1) देहरादून, दिनांक :25 फरवरी 2009

विषयः– पुनर्गठनोंपरान्त 14 विभिन्न संवर्ग के पदों को पूर्व में स्वीकृत आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय में रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 12840/जी0–110/2008–09 /अधि0 दिनांक 19.12.2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 3369/चि0शि0/2001–16(चि0)/2001 दिनांक 1.08.2001 द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय में सृजित पदों में पुनर्गठनोंपरान्त 14 निम्नलिखित विभिन्न संवर्ग के पदों को सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

तालिका –1

क0	पदनाम	संख्या	वेतनमान	अभ्युक्ति
01	उपनिदेशक	01	10000–15200	कार्मिक का आवंटन शेष
02	ओफिसर सुपरटैन्ट(HQ)	01	5000–8000	
03	वरिष्ठ सहायक (HQ)	02	4500–7000	
04	वरिष्ठ लिपिक (HQ)	02	4000–6000	
05	आशुलिपिक (HQ)	01	4000–6000	

06	कनिष्ठ लिपिक (HQ)	04 (01 पद अधि0)	3050–4590	
07	चतुर्थ श्रेणी(HQ)	03	2550–3200	
	योग:–	14		

भवदीय,

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 मैनुअल संख्या– 1

संख्या: उ0प्र0/XXVIII-(1)/2008-70/2007

प्रेषक,

केशव देसिराजू
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-1

देहरादून : दिनांक : 24 अक्टूबर,2008

विषय: सी0सी0आई0एम0 मानकानुसार गुरूकुल राबकीय आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार से सम्बद्ध चिकित्सालय को 150 शैयाओं से युक्त किये जाने हेतु पदों की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-16937/एम0एच0डी0-102/2007-08 दिनांक 29 फरवरी 2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 208-09 में सी0सी0आई0एम0 मानकानुसार गुरूकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार से सम्बद्ध चिकित्सालय को 150 शैयाओं से युक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित तालिका के कालम संख्या 3 में उल्लिखित 26 (छब्बीस) अस्थाई पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमान में इस आदेश के निर्गत होने अथवा नियुक्ति की तिथि से दिनांक 28 फरवरी 2009 तक बशर्ते की ये पद इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिये जाए, के सृजन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है

क्रमसं0	पदनाम	वांछित पद	वेतनमान रूपये में
1	रेडियोलोजिस्ट	01	8000-13500
2	पैथोलोजिस्ट	01	8000-13500
3	ऐनेस्थेटिस्ट	01	8000-13500
4	मैट्रन/नर्सिंग सुपरिंडेट	01	6500-10500
5	असिस्टेंट मैट्रन	01	5000-8000
6	सिस्टर	07	5000-8000
7	स्टाफ नर्स	10	5000-8000
8	फार्मासिस्ट	03	4500-7000
9	स्टोर कीपर	01	3050-4590
	योग :	26	

2. उपरोक्त के अतिरिक्त निम्नांकित कार्यों को आउटसोर्सिंग/संविदा/मानदेय के आधार पर कराये जाने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्रमसं0	कार्य की प्रकृति	वांछित मानव शक्ति (मानव संख्या)	अभ्युक्ति
1	हाउस कीपर	07	मानदेय पर
2	वार्ड ब्वाय/आया	07	आउट सोर्सिंग से
3	किचन अटेंडेंट	02	आउट सोर्सिंग से
4	प्लम्बर	01	आउट सोर्सिंग से
5	वाचमैन	03	आउट सोर्सिंग से
6	इलैक्ट्रिशियन	01	आउट सोर्सिंग से
7	डार्करूम सहायक	01	आउट सोर्सिंग से

8	लेबर रूम अटेंडेंट	02	आउट सोर्सिंग से
9	स्टेटिस्टीशियन	01	आउट सोर्सिंग से
10	फोटोग्राफर	01	आउट सोर्सिंग से
11	स्वीपर	01	आउट सोर्सिंग से
	कुल योग:	27	

3. उक्त प्रस्तर-01 के सापेक्ष सृजित अस्थाई पदों से सम्बन्धित पदधारकों को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार अनुमन्य महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो भी अनुमन्य हो,देय होंगे एवं इन पदों पर नियुक्ति संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुसार की जायेगी।

4. उक्त पदों तथा कार्यों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008 09 के आय- व्ययक में अनुदान संख्या-12 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य,05-चिकित्सा शिक्षा तथा प्रशिक्षण अनुसंधान,101-आयुर्वेद,06-अन्य व्यय, 0601-आयुर्वेदिक यूनानी-कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध अस्पतालों का प्रनीयकरण के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 संख्या 198(P)/वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/2008 दिनांक 24 अक्टूबर,2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव
प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
1. प्राचार्य गुरूकुल/ऋषिकुल आयुर्वेदिक कालेज हरिद्वार।
2. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी हरिद्वार/देहरादून।
4. वित्त अनुभाग-3/नियोजन/एन0आई0सी0।
5. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधान सचिवालय देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

उत्तराचंल शासन
चिकित्सा अनुभाग
संख्या : 1878 / चि0शा0 / 2001–292(चि0) / 2001
देहरादून दिनॉक 08 जून 2001

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897(अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित ड्रग्स एण्ड कास्मेटिक्स रूल्स, 1945 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तरांचल को उक्त नियमावली के भाग 16 के प्रायोजनों हेतु सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य के लिए लाईसेसिंग प्राधिकारी नियुक्त करते है।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन
सचिव

संख्या : 1878 / चि0शा0 / 2001–292(चि0) / 2001 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि अंग्रेजी रूपान्तर की अधिसूचना की दो प्रतियो सहित अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, रूडकी हरिद्वार को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इस अगले शासकीय गजट में अवश्य प्रकाशित कर दिया जाय।

आज्ञा से,

(ऊषा शुक्ला)
संयुक्त सचिव

संख्या : 1878 / चि0शा0 / 2001–292(चि0) / 2001 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं उत्तरांचल देहरादून।
2. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादून।
3. चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त अधिकारी।

आज्ञा से,

(ऊषा शुक्ला)
संयुक्त सचिव

उत्तराचंल शासन
चिकित्सा अनुभाग
संख्या : 3132 / चि0सा0 / 2001–16(चि0) / 2001
देहरादून दिनॉक 01 अगस्त 2001

अधिसूचना

उत्तरांचल राज्य में आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय, जिसका प्रधान कार्यालय देहरादून में होगा, की तत्कालिक प्रभाव से स्थापना की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

आज्ञा से,

आलोक कुमार जैन
सचिव

संख्या : 3132 / चि0सा0 / 2001–16(चि0) / 2001 तद्दिनॉक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

01. महालेखाकार उत्तरांचल, देहरादून।
02. उत्तरांचल शासन के समस्त प्रमुख सचिव / सचिव।
03. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
04. निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
05. निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तरांचल देहरादून।
06. महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल देहरादून।
07. राजकीय मुद्राणालय, रूडकी (हरिद्वार) को गजट के प्रकाशनार्थ।
08. अपर सचिव, गोपन (मंत्री परिषद) अनुभाग को उनके अशासकीय पत्र संख्या 4 / 2 / 14 / 2001–सी0एक्स0 दिनॉक 16–06–2001 के क्रम में सूचनार्थ।
09. वित्त विभाग।
10. कोषाधिकारी, देहरादून।
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऊषा शुक्ला)
संयुक्त सचिव

(5)

संख्याः 583/XXXX-2010-12/2001

प्रेषक,

राजेन्द्र गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग,   देहरादून : दिनांक : 28 जून,2010

विषयः आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें ढांचे का पुर्नगठन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत राज्य में आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति को सुदृढ़ करने, विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों को संचालित करने तथा आयुष चिकित्सा शिक्षा को जन-जन तक पहुँचाने तथा इस क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को सुलभ करने की आवश्यकताओं को मध्यनजर रखते हुए, आयुर्वेदिक एवं यूनानी निदेशालय, जनपद स्तर, कालेज स्तर एवं स्टेट डी0टी0एल0 एवं औषधि निर्माणशाला में पूर्व से सृजित पदों को सम्मिलित करते हुए निदेशालय स्तर, मिनिस्ट्रीयल/आशुलिपिक संवर्ग, क्षेत्रीय स्तरीय मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों को मानकानुसार स्टाफिंग पैटर्न में रखते हुए पुर्नगठित संरचनात्मक ढाँचे का गठन निम्नलिखित प्रस्तर 5 में अंकित तालिकाओं के कालम 5 में निदेशालय स्तर **(मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को छोड़ते हुए)**, निदेशालय स्तर पर पंचकर्म प्रकोष्ठ, निदेशालय स्तर पर आशुलिपिक संवर्ग, जनपद स्तरीय कार्यालय **(मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को छोड़ते हुए)**, कालेज स्तर **(ऋषिकुल एवं गुरूकुल राजकीय आयुर्वेदिक कालेज)** एवं स्टेट डी0टी0एल0 एवं औषधि निर्माणशाला ऋषिकुल हरिद्वार में क्रमशः 06, 04, 08, 68, 38 एवं 07 (कुल 131) पदों को शासनादेश निर्गत करने की तिथि से सृजित किये जाने की श्रीराज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

2. उक्त पद धारकों को उक्त पद के वेतन के साथ साथ शासन द्वारा प्रसारित आदेशों के अनुमन्य मंहगाई व अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3. उक्त पुर्नगठित ढाँचे में निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें का उच्चीकृत वेतनमान रु0 18400-500-22400 (वेतन बैंड- 37400-67000 ग्रेड पे-10000), अपर निदेशक, शिक्षा, शोध एवं जड़ी बूटी संवर्धन (चिकित्सा शिक्षा संवर्ग) रु0 14300-400-18300 (वेतन बैंड 37400-67000 ग्रेड पे 8700), जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी/संयुक्त निदेशक का वतनमान रु0 12000-375-16500 वेतन बैंड- वेतन बैंड 15600-39100 ग्रेड पे 7600) तात्कालिक प्रभाव से शासनादेश निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य होगा।

1. पूर्व में सृजित [illegible] के 01 पदों का उच्चीकरण करते हुए संयुक्त निदेशक, चिकित्सा प्रशासन, संयुक्त निदेशक, योजना, संयुक्त निदेशक,जड़ी-बूटी संवर्धन, संयुक्त निदेशक, चिकित्सा औषधि भण्डारण/प्रोक्योरमेंट अर्थात् संयुक्त निदेशक कुल 04 पद तात्कालिक प्रभाव से शासनादेश निर्गत होने की तिथि से पुनर्गठित ढाँचे में सम्मिलित किये जाते हैं।

तालिका

निदेशालय स्तर--(मिनिस्ट्रीयल संवर्ग को छोड़ते हुए)

क्र0 सं0	पद नाम	पूर्व वेतनमान एवं दिनांक 01-01-2006 से संशोधित (वेतनबैण्ड)	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	नवसृजित पद	कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	निदेशक	18400-500-22000 (37400-67000 ग्रेड पे 10000)	01	—	01	—
2	अपर निदेशक शिक्षा शोध एवं जड़ी बूटी संवर्धन	रू0 14300-18300 (37400-67000 ग्रेड पे 8700)	01	—	01	चिकित्सा शिक्षा संवर्ग से
3	अपर निदेशक प्रशासन / नियोजन	रू0 14300-18300 (37400-67000 ग्रेड पे 8700)	0	01	01	चिकित्सा सेवा संवर्ग से
4	संयुक्त निदेशक चिकित्सा	12000-375-16500 (15600-39100 ग्रेड पे 7600)	01	—	01	चिकित्सा सेवा संवर्ग से
5	संयुक्त निदेशक योजना	12000-375-16500 (15600-39100 ग्रेड पे 7600)	01	—	01	चिकित्सा सेवा संवर्ग से
6	संयुक्त निदेशक जड़ी बूटी संवर्धन	12000-375-16500 15600-39100 ग्रेड पे 7600	01	—	01	चिकित्सा सेवा संवर्ग से
7	संयुक्त निदेशक चिकित्सा औषधि भण्डारण /प्रोक्योरमेंट	12000-375-16500 (15600-39100 ग्रेड पे 7600)	01	—	01	चिकित्सा सेवा संवर्ग से
08	उप निदेशक फार्मेसी	10000-325-15200 (15600-39100 ग्रेड पे 6600)	—	01	01	फार्मेसिस्ट संवर्ग से
09	सहायक औषधि नियंत्रक	10000-325-15200 (15600-39100 ग्रेड पे 6600)	01	—	01	

2

1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]	8000-275-13500 (15600-39100 ग्रेड पे 5400)	01	—	01	लेखा संवर्ग से
[illegible]	[illegible]	7500-250-12000 (9300-34800 ग्रेड पे 4800)	01	—	01	लेखा संवर्ग से
[illegible]	[illegible]	5500-175-9000 (9300-34800 ग्रेड पे 4200)	01	—	01	—
[illegible]	[illegible]	5000-150-8000 (9300-34800 ग्रेड पे 4200)	01	—	01	—
[illegible]	[illegible] निरीक्षक	5000-150-8000 (9300-34800 ग्रेड पे 4200)	01	—	01	—
[illegible]	[illegible]	5000-150-8000 (9300-34800 ग्रेड पे 4200)	—	01	01	—
[illegible]	[illegible]	4500-125-7000 (5200-20200 ग्रेड पे 2800)	—	02	02	—
[illegible]	[illegible] / [illegible]	4000-100-6000 (5200-20200 ग्रेड पे 2400)	—	01	01	—
[illegible]	वाहन चालक	3050-4590 (5200-20200 ग्रेड पे 1900)	01	—	01	यह पद पूर्व से सृजित मूल संवर्ग / भविष्य में पद की आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्सिंग से भरे लिए जायेंगे।
[illegible]	[illegible]	2550-3200 (4440-7440 ग्रेड पे 1300)	08	—	08 (उक्त सृजित पदों में से यदि कोई पद रिक्त होता है तो उसे आउट सोर्सिंग से भरा जायेगा)	अनुसेवक पूर्व से सृजित मूल संवर्ग / भविष्य में आउटसोर्सिंग से कार्य को लिया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त कार्य पर आवश्यकता के अनुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिया जायेगा।
	(अनुसेवक)	(आउट सोर्सिंग)	—	09	09	
	योग–		21	06	27	आउट सोर्सिंग के 09 पदों को दृष्टि में स्वीकृत पदों की संख्या में नहीं लिया गया है।

निदेशालय स्तर पर पंचकर्म प्रकोष्ठ:–

क्र0 सं0	पद नाम	पूर्व वेतनमान एवं दिनांक 01–01–2006 से संशोधित (वेतनबैण्ड)	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	नवसृजित पद	कुल पदों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
01	संयुक्त निदेशक, पंचकर्म यूनिट(सेल)	12000-375-16500 15600-39100 ग्रेड पे 7600	—	01	01	चिकित्सा संवर्ग से

[illegible] 3–

1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]	10000-325-15200 (15600-39100 ग्रेड पे 6600)		02	02	
[illegible]	[illegible]	6500-200-10500 (9300-34800 ग्रेड पे 4200)		01	01	-
[illegible]	[illegible]	2550-3200 (4440-7440 ग्रेड पे 1300)	आउट सोर्सिंग	02	02	02 पद आउट सोर्सिंग
	कुल योग–		-	04	04	(आउट सोर्सिंग के 02 पदों को कुल योग में सम्मिलित पदों की संख्या में नहीं गिना गया है।)

निदेशालय स्तर मिनिस्ट्रीयल संवर्ग–
(स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार)

क्रम सं0	पदनाम	पूर्व वेतनमान एवं दिनांक 01–01–2006 से संशोधित (वेतनबैण्ड)	पूर्व में स्वीकृत पदों का संख्या	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुर्नगठित पदों की संख्या
01	02	03	04	05
01	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	7450–11500 (9300-34800ग्रेड पे 4600)	-	01
02	प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000 (9300–34800ग्रेड पे 4200)	02	02
03	मुख्य सहायक	4500-7000 (5200-20200ग्रेड पे 2800)	04	03
04	प्रधान सहायक	4000–6000 (5200-20200ग्रेड पे 2400)	04	05
05	वरिष्ठ सहायक	3050–4590 (5200–20200 ग्रेड पे–1900)	06	05
	कुल योग–		16	16

आशुलिपिक संवर्ग–

क्रमांक	पदनाम	पूर्व वेतनमान एवं दिनांक 01–01–2006 से संशोधित (वेतनबैण्ड)	पूर्व सृजित पद	नवसृजित पद	कुल	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07
01	वैयक्तिक सहायक ग्रेड-01	6500–10500 (9300–34800ग्रेड पे 4200)		01	01	निदेशालय में निदेशक, 02 अपर निदेशकों ,05 संयुक्त निदेशकों तथा 02 प्रधानाचार्यों हेतु। वर्तमान में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में कार्यरत 02 वैयक्तिक सहायकों को आशुलिपिक संवर्ग में समायोजित समझा जायेगा।
02	वैयक्तिक सहायक ग्रेड 02	5500 9000 (9300–34800ग्रेड पे 4200	-	02	02	
03	आशुलिपिक ग्रेड 1	5000 8000(9300 34800ग्रेड पे 4200)		03	03	
04	आशुलिपिक ग्रेड 02	4000-6000 (5200–20200 ग्रेड 2400)	02	02	04	
	कुल योग–		02	08	10	

4

परिशिष्ट
जनपदीय कार्यालय

क्र0 सं0	पद नाम	पूर्व वेतनमान एवं दिनांक 01–01–2006 से संशोधित (वेतनबैण्ड)	पूर्व में स्वीकृत पदों की संख्या	नवीन सृजित पदों की संख्या	कुल पदों की संख्या (4+5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी/संयुक्त निदेशक	12000–375–16500 (15600–39100 ग्रेड पे–7600)	13	–	13	वेतनमान रुपये 10000–15200(15600–39100 ग्रेड वेतन 6600) से उच्चीकृत करते हुए वेतनमान रु0 12000–16500(15600–39100 ग्रेड वेतन 7600) में किया गया है।
2	अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	10000–15200 (15600–39100 ग्रेड पे–6600)	–	08	08	उक्त 08 पद जनपद देहरादून, चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं नैनीताल के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी कार्यालयों में सृजित।
3	चिकित्सा अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पंचकर्म यूनिट उत्तरकाशी।	10000–15200 (15600–39100 ग्रेड पे 6600)	–	01	01	25 शैय्यायुक्त/पंचकर्म यूनिट उत्तरकाशी
4	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	10000–15200(15600–39100 ग्रेड पे 6600)	26	–	26	–
5	चिकित्साधिकारी	8000–13500 (15600–39100 ग्रेड पे 5400)	753	–	753	–
6	चिकित्सा अधिकारी योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा	6500–10500(9300–34800 ग्रेड पे 4200)	01	–	01	–
7	प्रभारी फार्मेसी अधिकारी	6500–10500 (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	01	08	09	नवसृजित 08 पद जनपद चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा नैनीताल एवं हरिद्वार के जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालयों हेतु सृजित।
8	चीफ फार्मेसिस्ट	5500–9000(9300–34800 ग्रेड पे 4200)	05	13	18	नवसृजित 13 पद 13 जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी कार्यालयों में जनपदीय मुख्य औषधि भण्डारी हेतु सृजित।
9	सिस्टर	5500–9000 (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	01		01	–
10	स्टाफ नर्स	5000–8000 (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	19	–	19	–
11	फार्मेसिस्ट	4500–7000 (5200–20200 ग्रेड पे 2800)	529	38	567	13 पद जिला चिकित्सालयों की पुरुष आयुष विंग तथा 25 पद वर्ष 2007–08 में सृजित 25 नवीन चिकित्सालयों हेतु।
12	पंचकर्म सहायक	4000–6000 (5200–20200 ग्रेड पे 2400)	76	–	76	–
13	योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहायक	4000–6000 (5200–20200 ग्रेड पे 2400)	13	–	13	–
14	वाहन चालक	3050–4590 (5200–20200 ग्रेड पे 1900)	02	–	02	मृत संवर्ग/ आउटसोर्सिंग से (विभागीय ढांचे में सम्मिलित नहीं है।)
15	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200 (4440–7440 ग्रेड पे 1300)	875	–	875	मृत संवर्ग/आउटसोर्सिंग से
	योग–		2314	68	2382	–

5–

[illegible]
आयुर्वेदिक कालेज–

[illegible]	[illegible]	पूर्व वेतनमान एवं दिनांक 01.01.2006 से संशोधित (वेतनबैण्ड)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]	14300–18300 (37400–67000 ग्रेड पे [illegible])	02		02	–
[illegible]	[illegible]	12000–375–16500 (15600–39100 ग्रेड पे 7600)	29	—	29	–
[illegible]	[illegible]	10000–15200 (15600–39100 ग्रेड पे [illegible])		04	04	02 [illegible] एवं 02 गुरुकुल के सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु सृजित।
[illegible]	[illegible]	10000–15200 (15600–39100 ग्रेड पे [illegible])	35	–	35	–
[illegible]	[illegible]	8550–275–14600 15600–39100 ग्रेड पे [illegible]	51	–	51	–
6	[illegible]	8000–13500 (15600–39100 ग्रेड 5400	02	–	02	–
7	[illegible]	8000–13500 (9300–34800 ग्रेड पे 5400)	02	–	02	–
8	[illegible]	8000–13500 (9300–34800 ग्रेड पे 5400)	01	01	02	–
9	[illegible]	8000–13500 (15600–39100 ग्रेड 5400)	02	–	02	–
10	[illegible]	7500–12000 (9300–34800 ग्रेड पे 4800)	–	02	02	लेखा संवर्ग से
11	[illegible]	5500–9500 (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	04	01	05	–
12	[illegible] योग एवं [illegible]	5500–9000 (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	02	–	02	–
[illegible]	[illegible]	5500–9500 (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	05	02	07	01 पद [illegible] एवं 01 पद गुरुकुल कालेज के सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु।
[illegible]	[illegible]	5000–8000 9300–34800 ग्रेड पे 4200	02		02	–
[illegible]	[illegible]	5000–8000 (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	02	–	02	–
[illegible]	[illegible]	5000–8000 9300–34800 ग्रेड पे 4200	10	03	13	–
[illegible]	[illegible]	5000–8000 9300–34800 ग्रेड पे 4200	–	02	02	–
[illegible]	[illegible]	5000–8000 (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	22	03	25	–
[illegible]	[illegible]	4500–7000(5200–20200 ग्रेड पे 2800)	11	04	15	02 पद [illegible] एवं 02 पद गुरुकुल कालेज के संबद्ध चिकित्सालय हेतु।

[illegible] 6–

1	2	3	4	5	6	7
20	[illegible]	[illegible] ग्रेड पे 2800)	02		02	
21	[illegible]	5000–8000 (5200–20200 ग्रेड पे 2800)	11		11	
22	सहायक लेखाकार	4500–7000 (5200–20200 ग्रेड पे 2400)		02	02	
23	[illegible]	3050–4590 (5200–20200 ग्रेड पे 1900)		02	02	01 पद ऋषिकुल एवं 01 पद गुरुकुल [illegible]
24	कम्प्यूटर सहायक	4000–6000 (5200–20200 ग्रेड पे 2400)		12	12	
25	[illegible] सहायक	3050–4590 (5200–20200 ग्रेड पे 1900)	02	–	02	–
26	विद्युतकार	3050–4590 (5200–20200 ग्रेड पे 1900	01	01	02	01 पद आउट सोर्सिंग के आधार पर और कार्यरत पद धारक के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त आउट सोर्सिंग सेवा से लिया जायेगा।
27	[illegible]	3050–3200 (5200–20200 ग्रेड पे 1900)	02	–	02	मृत संवर्ग भविष्य में आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिया जायेगा।
28	मशीन मैन	3050–3200 (5200–20200 ग्रेड पे 1900)	02		02	आउट सोर्सिंग से कार्य लिया जायेगा
29	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200 (4440–7440 ग्रेड पे 1300)	118		118	मृत संवर्ग। भविष्य में आउट सोर्सिंग के माध्यम से कार्य लिया जायेगा।
	योग–		320	38	358	–

तालिका

स्टेट डी0टी0एल0 एवं औषधि निर्माण शाला ऋषिकुल हरिद्वार:–

क्र0 सं0	पद नाम	पूर्व वेतनमान एवं दिनांक 01–01–2006 से संशोधित (वेतनबैण्ड)	स्वीकृत पदों की संख्या	प्रस्तावित अतिरिक्त सृजन पदों की संख्या	कुल पद 4+5	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	अधीक्षक फार्मेसी	10000–15200 (15600–39100 ग्रेड पे 6600)	01	–	01	–
2	प्रबन्धक फार्मेसी	8000–13500 (15600–39100 ग्रेड पे 5400)	01	–	01	–
3	चिकित्साधिकारी	8000–13500 (15600–39100 ग्रेड पे 5400)	02	–	02	–
4	वैज्ञानिक अधिकारी	8000–13500 (15600–39100 ग्रेड पे 5400)	04	–	04	–

-7-

1	2	3	4	5	6	7
5	[illegible]	5500–9000 (9300–34800 ग्रेड पे 4200)		01	01	—
6	[illegible]	5500–9000 (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	01	—	01	—
7	[illegible]	5000–8000 (9300–34800 ग्रेड पे 4200)	01	—	01	—
8	फार्मेसिस्ट	4500–7000(5200–20200 ग्रेड पे 2800)	—	02	02	—
9	[illegible]	4500–7000(5200–20200 ग्रेड पे 2800)	01	—	01	—
10	लैब टेक्निशियन	4500–7000(5200–20200 ग्रेड पे 2800)	02	—	02	—
11	[illegible]	4000–6000 (5200–20200 ग्रेड पे 2400)	02	—	02	—
12	सहा०कम प्रोग्रामर	4000–6000 (5200–20200 ग्रेड पे 2400)	01	—	01	—
13	मशीन मैन/आपरेटर	3050–4590 (5200–20200 ग्रेड पे 1900)	01	03	04	—
14	विद्युतकार	3050–4590 (5200–20200 ग्रेड पे 1900)	01	01	02	—
15	चतुर्थ श्रेणी	2550–3200 (4440–7440 ग्रेड पे 1300)	23	—	23	मृत संवर्ग । भविष्य में आउट सोर्सिंग के माध्यम कार्य लिया जायेगा।
	योग:–		41	07	48	—

क्षेत्रीय स्तरीय (जनपद, कालेज एवं फार्मेसी/डी०टी०एल०) मिनीस्ट्रीयल संवर्गः–

● आयुर्वेदिक विभाग में मिनीस्ट्रीयल संवर्ग एकल संवर्ग नही है। प्रचलित सेवा नियमावली में निदेशालय एवं जनपद स्तरीय चयन का आधार अलग–अलग है :–

क्र0सं0	पदनाम	पूर्व वेतनमान एवं दिनांक 01–01–2006 से संशोधित (वेतनबैण्ड)	पूर्व में स्वीकृत पदों का संख्या	स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुर्नगठित पदों की संख्या
01	02	03	04	05
01	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (ऋषिकुल/गुरुकुल कालेजों के लिए)	7450–11500 (9300–34800ग्रेड पे–4600)		02
02	प्रशासनिक अधिकारी	5500–9000 (9300–34800 ग्रेड पे–4200)	04	15
03	मुख्य सहायक	4500–7000 (5200–20200 ग्रेड पे–2800)	16	15
04	प्रवर सहायक	4000–6000 (5200–20200 ग्रेड पे–2400)	27	25
05	कनिष्ठ सहायक	3050–4590 (5200–20200 ग्रेड पे–1900)	36	26
	कुल योगः–		83	83

8

6. आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के संरचनात्मक ढाँचे का उपरोक्तानुसार पुनर्गठन निम्न शर्तो के अधीन किया जा रहा है:–

1. उपरोक्त पुनर्गठित ढांचे में सृजित नवीन पदों व अन्य पदों पर पदोन्नति हेतु प्रचलित सेवा नियमावली में संशोधन/नियमावली प्रख्यापित किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
2. निदेशालय के आशुलिपिक संवर्ग एवं मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पद स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार पुनर्गठित किये गये है। क्षेत्रीय स्तर(जनपद स्तर, कालेज, फार्मेसी /डी0टी0एल0) मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों स्टाफिंग पैटर्न पर रख दिया गया है। जिनका मानकीकरण/पुर्नअंकन पृथक से किया जायेगा।
3. निदेशालय में सृजित वाहन चालक के **01** पद जनपद कार्यालयों में **02** पद , कालेजों में **02** पद अर्थात् कुल–**05** पदों को मृत संवर्ग घोषित करते हुए भविष्य में कार्य आउट सोर्सिंग की माध्यम से किया जायेगा।
4. निदेशालय में पूर्व में सृजित अनुसेवक के **08 पद** , जनपद स्तरीय कार्यालयो के अधीन **675 पद** आयुर्वेदिक कालेजों में चतुर्थ श्रेणी के **118 पद**, स्टेट डी0टी0एल0 एवं औषधि निर्माणशाला में **23 पद** अर्थात् **कुल–1024** पदों को मृत संवर्ग घोषित करते हुए उक्त कार्य आउट सोर्सिंग के माध्यम से किया जायेगा।
5. उक्त ढॉचे में उल्लिखित पदों पर नियुक्तियां आवश्यतानुसार एवं सुसंगत सेवा नियमावली के अनुसार ही की जायेगी।

7. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–4140/xxvii(7)/2010 दिनांक 24 जून, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्या:–583(1)/xxxx/2010–12/2001 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड ।
3– समस्त प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/ कुमाऊँ ।
5– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6– गोपन(मंत्रिपरिषद) अनुभाग उत्तराखण्ड शासन ।
7– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया राजकीय गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
8– वित्त अनुभाग–3/7 उत्तराखण्ड शासन।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या– [illegible] /XXXX/2010–12/2001

प्रेषक,

चन्द्र सिंह नपलच्याल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग   देहरादूनः दिनांक 03 अगस्त 2010

विषयः– आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत विभागीय ढॉचे में स्वीकृत मिनिस्ट्रीयल पदों को वर्गीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश संख्या–583/XXXX/2010–12/2001, 28 जून,2010 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग का पुनर्गठन करते हुए क्षेत्रीय स्तरीय (जनपद, कालेज, फार्मेसी एवं डी0टी0एल0) मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों को स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार रखा गया था। उक्त शासनादेश के प्रस्तर–6 के उप प्रस्तर–2 में यह निदेश दिये गये थे, कि उक्त पदों का मानकीकरण/पुर्नअंकन पृथक से किया जायेगा।

2. उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–5792/जी–152/2010–11/अधि0 दिनांक 28 जुलाई,2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय स्तरीय (जनपद, कालेज, फार्मेसी एवं डी0टी0एल0) मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के पदों का स्टाफिंग पैटर्न पुर्नगठनोपरान्त संलग्न सूची के अनुसार मानकीकरण/पुर्नअंकन किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(चन्द्र सिंह नपलच्याल)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या– 689 /XXXX/2010–12/2001 दिनांक 03 जुलाई,2010 का संलग्नक

क0 स0	जनपद	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी		प्रशासनिक अधिकारी		मुख्य सहायक		प्रवर सहायक		कनिष्ठ सहायक		पूर्व स्वीकृत पदों का योग	आवंटन हेतु आवंटित पदों का योग
		पूर्व स्वीकृत पद	आवंटन हेतु आवंटित पद	पूर्व स्वीकृत पद	आवंटन हेतु आवंटित पद	पूर्व पस्वीकृत पद	आवंटन हेतु आवंटित पद	पूर्व स्वीकृत पद	आवंटन हेतु आवंटित पद	पूर्व स्वीकृत पद	आवंटन हेतु आवंटित पद		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	देहरादून	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	4	4
02	हरिद्वार	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	3	4
03	टिहरी गढ़वाल	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	4	4
04	उत्तरकाशी	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	4	4
05	पौड़ी गढ़वाल	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	4	4
06	रूद्रप्रयाग	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	5	4
07	चमोली	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	4	4
08	ऊधमसिंहनगर	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	4
09	नैनीताल	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	4	4
10	अल्मोड़ा	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	4	4
11	बागेश्वर	0	0	1	1	1	1	1	1	2	1	5	4
12	चम्पावत	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	2	4
13	पिथौरागढ़	0	0	0	1	1	1	1	1	2	1	4	4
14	फार्मेसी	0	0	0	1	1	0	4	2	4	3	9	6
15	डी0टी0एल0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2
16	ऋषिकुल कालेज	0	1	1	1	1	1	9	7	6	6	17	16
17	गुरूकुल कालेज	0	1	1	0	1	1	1	2	3	3	6	7
		0	2	4	15	16	15	26	25	37	26	83	83

(ओमकार ...)
अनु ...

संख्या– 566/XXXV/2015–61/2014

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

568
16-04-2015

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग — देहरादूनः दिनांक /5 अप्रैल, 2015

विषयः– गा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की गयी घोषणा संख्या 647/2014 जनपद टिहरी विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत सिंवालीधार में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 19012/लेखा–239/2014–15 दिनांक 19.02.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में वित्तीय वर्ष 2015–16 में विषयगत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु निम्न तालिका के अनुसार अस्थायी पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि/नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 29.02.2016 तक, बशर्ते, इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	पदनाम	कुल पद	वेतनमान (रू0 में)	वेतन बैंड	ग्रेड पे (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	चिकित्साधिकारी	1	15600–39100	पे बैण्ड–3	5400
2	फार्मेसिस्ट	1	9300–34800	पे बैण्ड–2	4200
3	वार्ड ब्वाय	1	आउट सोर्सिंग द्वारा		
4	स्वच्छक कम चौकीदार	1			
	योग	04			

2. उक्त पदधारक को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

3. आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 12 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 02–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–अन्य

F:\C.M. Ghoshana-1\letter.doc

चिकित्सा पद्धतियां, 101–आयुर्वेद, 08–आयुर्वेदिक, 0804–आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का अधिष्ठान के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 294 (P)/xxvii(7)/ 2014-2015 दिनांक 01 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्याः– /XXXX/ 2015–61/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, टिहरी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–3/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
अपर सचिव

कार्यालय
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या-596-601 लेखा–239/2015–16 दिनांक 21 अप्रैल, 2015

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– प्रमुख सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
02– जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।
03– जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी टिहरी गढ़वाल।
04– वरिष्ठ कोषाधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।
05– गार्ड फाईल।

(डा0 अरूण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

F:\C.M. Ghoshana-1\letter.doc

प्रेषक,

संख्या–568/XXXX/2015–63/2014

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 20 अप्रैल, 2015

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–648/2014 जनपद टिहरी विकासखण्ड देवप्रयाग के अन्तर्गत ग्रामसभा बरसोली के पाटाखाल में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 19012/लेखा–239/2014–15 दिनांक 19.02.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में वित्तीय वर्ष 2015–16 में विषयगत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु निम्न तालिका के अनुसार 04 अस्थायी पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि/नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 29.02.2016 तक, बशर्ते, इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	पदनाम	कुल पद	वेतनमान (रू0 में)	वेतन बैंड	ग्रेड पे (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	चिकित्साधिकारी	1	15600–39100	पे बैण्ड–3	5400
2	फार्मेसिस्ट	1	9300–34800	पे बैण्ड–2	4200
3	वार्ड ब्वाय	1	आउट सोर्सिंग द्वारा		
4	स्वच्छक कम चौकीदार	1			
	योग	04			

2. उक्त पदधारक को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

3. आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 12 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा एवं लोक

स्वास्थ्य, 02-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां, 101-आयुर्वेद, 08-आयुर्वेदिक, 0804-आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का अधिष्ठान(शहरी / ग्रामीण) के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-01(P)/xxvii(3)/ 2015-16 दिनांक 09 अप्रैल, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्याः– /XXXX/ 2015–63/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, टिहरी, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, टिहरी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–3 / एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जी0बी0ओली)
अपर सचिव

कार्यालय
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या–1550-53 लेखा–239/2015–16 दिनांक 06 मई, 2015

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– प्रमुख सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
02– जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल।
03– जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी टिहरी गढ़वाल।
04– वरिष्ठ कोषाधिकारी नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल।
05– गार्ड फाईल।

(डा0 अरुण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

F/C.M. Ghoshana-1 l/letter.doc

संख्या–1561/XXXX/2015–48/2014

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग   देहरादून: दिनांक 25 जून, 2015

विषय:– अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम डबराड, बूथानगर, पट्टीपैनो विकास खण्ड रिखणीखाल, जिला पौढ़ी गढ़वाल मे राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु पदों के सृजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 20792/लेखा–239/2014–15 दिनांक 13.03.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के अधीन वित्तीय वर्ष 2015–16 में जनपद पौढ़ी गढ़वाल के ग्राम डबराड, बूथानगर पट्टीपैनो, विकासखण्ड रिखणीखाल में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु निम्न तालिका के अनुसार 03 अस्थायी पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 29.02.2016 तक, बशर्ते, इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, के सृजन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है–

क्र0 सं0	पदनाम	कुल पद	वेतनमान (रू0 में)	वेतन बैंड	ग्रेड पे (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	चिकित्साधिकारी	1	15600–39100	पे बैण्ड–3	5400
2	फार्मेसिस्ट	1	9300–34800	पे बैण्ड–2	4200
3	वार्ड ब्वाय (महिला/पुरूष)	1	आउट सोर्सिंग द्वारा		

2. उक्त पदधारकों को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

3. आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जायेगा।

4. इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय–व्ययक अंतर्गत अनुदान संख्या 12 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 02–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–अन्य चिकित्सा पद्वतियां, 101–आयुर्वेद, 08–आयुर्वेदिक, 0804–आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का अधिष्ठान के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–58(P)/xxvii(3)/ 2015-2016 दिनांक 17 जून, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या–   /XXXX 2015–48/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिला आयुर्वैदिक एवं यूनानी अधिकारी, पौड़ी, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–3/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0बी0ओली)
अपर सचिव

D:\old data\SNO\open new hospital\and.doc

14872
18-12-14

प्रेषक, संख्या– 17 IV/XXXX/2014-70/202

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 17 दिसम्बर, 2014

विषयः– मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–526/2012 दारमीगाड में आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 7599/2013–14 दिनांक 02.09.2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग में वित्तीय वर्ष 2014–15 में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु निम्न तालिका के अनुसार अस्थायी पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि/नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 28.02.2015 तक, बशर्ते, इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	पदनाम	संख्या	वेतन बैंड	वेतनमान (रू0 में)	ग्रेड पे (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
01	चिकित्साधिकारी	01	पे बैंड–3	15600-39100	5400
02	फार्मेसिस्ट	01	पे बैंड–2	9300-34800	4200
03	भृत्य (वार्ड ब्वाय)	01	आउट सोर्सिंग से		
	योग	03			

2. उक्त पदधारक को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

3. आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 12 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 02–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–अन्य चिकित्सा पद्धतियां, 101–आयुर्वेद, 08–आयुर्वेदिक, 0804–आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों का अधिष्ठान के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 240(P)/xxvii(3)/2014-2015 दिनांक 11 दिसम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
Omprakash
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

F:\SN\Dhapen new hospital\and.doc

संख्याः– /XXXX/ 2014–70/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–3/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जी0बी0ओली)
अपर सचिव

कार्यालय
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या–20625–29 लेखा–239/2014–15/ दिनांक 12 मार्च 2015

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा उत्तराखण्ड शासन।
02. जिलाधिकारी देहरादून।
03. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी देहरादून।
04. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
05. गार्ड फाईल/

(डा0 अरूण कुमार त्रिपाठी)
निदेशक

F:\SNDopen new hospital\and.doc

[redacted]

संख्या–152/XXXX/2015–21/2015

प्रेषक,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

A.O.
01/08/2015

सेवा में,

निदेशक
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग   देहरादूनः दिनांक 27 जुलाई, 2015

विषयः– जनपद चमोली के सूगी में आयुर्वेदिक अस्पताल की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–3138/लेखा–239/2015–16 दिनांक 28.05.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग मे वित्तीय वर्ष 2015–16 में विषयगत राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना हेतु निम्न तालिका के अनुसार अस्थायी पदों का सृजन शासनादेश निर्गत होने की तिथि/नियुक्ति की तिथि, जो भी बाद में हो, से दिनांक 29.02.2016 तक, बशर्ते, इन पदों को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, सृजन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0सं0	पदनाम	कुल पद	वेतनमान (रू0 में)	वेतन बैंड	ग्रेड पे (रू0 में)
1	2	3	4	5	6
1	चिकित्साधिकारी	1	15600–39100	पे बैण्ड–3	5400
2	फार्मेसिस्ट	1	9300–34800	पे बैण्ड–2	4200
3	वार्ड ब्वाय	1	आउट सोर्सिंग द्वारा		
4	स्वच्छक कम चौकीदार	1			
	योग	04			

2. उक्त पदधारक को वेतन के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

3. आउट सोर्सिंग के माध्यम से स्वीकृत पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या 12 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक 2210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 02–शहरी स्वास्थ्य सेवायें–अन्य

चिकित्सा पद्धतियां 101 आयुर्वेद 08 आयुर्वेदिक 0804 आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का अधिष्ठान के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–138(P)/xxvii(3)/2015-2016 दिनांक 21 जुलाई, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
(ओम प्रकाश)
प्रमुख सचिव

संख्या:– /XXXX/ 2015–21/2015तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
3. कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून।
5. जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, चमोली, उत्तराखण्ड।
6. वित्त अनुभाग–3/एन0आई0सी0।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(जी0बी0ओली)
अपर सचिव

C:\old data12\CMGHOSNA11letter.doc

क्रम संख्या–24

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 17 मार्च, 2011 ई0
फाल्गुन 26, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

संख्या 302 / XXXX / 2011–104 / 2010
देहरादून, 17 मार्च, 2011

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–28

राज्यपाल, "**भारत का संविधान**" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड आयुष (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) विभाग के समूह "क" सेवा में भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग (समूह "क") सेवा नियमावली, 2011

भाग 1

सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग (समूह "क") सेवा नियमावली, 2011 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड आयुष आयुर्वेदिक एव यूनानी सेवा एक राज्य सेवा है, जिसमें समूह "क" के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं 3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(क) **'नियुक्ति प्राधिकारी'** से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "**भारत का नागरिक**" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "**भारत का संविधान**" के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ग) **'मौलिक नियुक्ति'** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(घ) **'राज्यपाल'** से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ङ) **'सरकार'** से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(च) **'संविधान'** से **'भारत का संविधान'** अभिप्रेत है;

(छ) **'सेवा'** से उत्तराखण्ड आयुष (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) चिकित्साधिकारी समूह "क" सेवा अभिप्रेत है;

(ज) **'आयोग'** से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(झ) **'सचिव'** से यथास्थिति प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड सरकार आयुष विभाग अभिप्रेत है;

(ञ) **'सेवा का सदस्य'** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व "प्रवृत्त" नियमों या आदेशों के अधीन "मौलिक" रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ट) **'भर्ती का वर्ष'** से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली "जुलाई" से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग 2

संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के "आदेश" न दिये जायें; सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी **परिशिष्ट 'क'** में दी गयी है;

परन्तु यह कि :–

(क) नियुक्ति प्राधिकारी, किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा; और

(ख) राज्यपाल, ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझें।

भाग 3

भर्ती

भर्ती का स्रोत 5. सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी।

(1) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अपर निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा एवं कुल 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु अन्य अपेक्षित अर्हताओं को पूर्ण करने के पश्चात् भी मूल पद पर निर्धारित 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारी उपलब्ध न हो तो मूल पद पर 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है।

(2) अपर निदेशक (प्रशासन आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी/संयुक्त निदेशकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा एवं कुल 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु अन्य अपेक्षित अर्हताओं को पूर्ण करने के पश्चात् भी मूल पद पर निर्धारित 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारी उपलब्ध न हो तो मूल पद पर 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है।

(3) अपर निदेशक (शिक्षा) आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्रोफेसरों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा एवं कुल 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु अन्य अपेक्षित अर्हताओं को पूर्ण करने के पश्चात् भी मूल पद पर निर्धारित 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण

करने वाले अधिकारी उपलब्ध न हो तो मूल पद पर 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है।

(4) संयुक्त निदेशक/जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।

मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक तथा वरिष्ठ चिकित्साधिकारी में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा एवं कुल 15 वर्ष सेवा पूरी कर ली हो अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु अन्य अपेक्षित अर्हताओं को पूर्ण करने के पश्चात् भी मूल पद पर निर्धारित 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारी उपलब्ध न हो तो मूल पद पर 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है।

(5) अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक /तथा वरिष्ठ चिकित्साधिकारी

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में आठ वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;

परन्तु यह कि दि पदोन्नति हेतु अन्य अपेक्षित अर्हताओं को पूर्ण करने के पश्चात् भी मूल पद पर निर्धारित 08 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारी उपलब्ध न हो तो मूल पद पर 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग 4

अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय: से पहली जनवरी, 1962 के पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और युनाईटेड रिपब्लक ऑफ तन्जानिया(पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थियों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को,जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इनकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये ।

चरित्र 8. सेवा के किसी पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में नियंत्रणाधीन निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होगें।

वैवाहिक प्रास्थिति 9. पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी;

परन्तु यह कि "राज्यपाल" किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रकिया

10. (1) निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक/जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी तथा श्रेणी "क" (अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक तथा वरिष्ठ चिकित्साधिकारी) के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथा संशोधित "उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 2002" के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मानदण्ड के आधार पर की जायेगी;

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति मे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो में से प्रत्येक से सम्बन्धित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है, ऐसी जातियों/जनजातियों और वर्गों, जिसका चयन समिति मे प्रतिनिधित्व नही है से सम्बन्धित कोई अधिकारी जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक" (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदण्ड) नियमावली, 2004 एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किये जाने वाले चयनों में अपनाई जाने वाली प्रकिया नियमावली, 2009 के प्राविधान लागू होगें"।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जो उचित समझे जाय चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

परिवीक्षा

11. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक निर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढायी जाय;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी अधिकारी ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवाएं उपनियम (3) के अधीन समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण 12. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्त में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता 13. किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग–5

<u>वेतनमान</u>

वेतनमान 14. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान **परिशिष्ट "क"** के अनुसार होंगे ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन 15. मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो ;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नही की जायेगी जब कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें।

भाग–6

अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन

16. किसी पद पर या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं लिखित या मौखिक सिफारिशों पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष के लिये समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

17. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

18. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाएं कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा–शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है;

व्यावृत्ति

19. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 'क'

[देखिए नियम 4 (2) तथा नियम 14 (2)]

क्र0 सं0	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	दिनाँक 01.01.2006 से देय वेतन बैन्ड	ग्रेड पे
1	2	3	4	5	6
1	निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें	01	–	वेतन बैन्ड–4 रुपये 37400–67000	रु0 10000.00
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	–	01	वेतन बैन्ड–4 रुपये 37400–67000	रु0 8700.00
3	अपर निदेशक (शिक्षा)	–	01	वेतन बैन्ड–4 रुपये 37400–67000	रु0 8700.00
4	संयुक्त निदेशक/जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	13	05	वेतन बैन्ड–3 रुपये 15600–39100	रु0 7600–00
5	अपर जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी	–	08	वेतन बैन्ड–3 रुपये 15600–39100	रु0 6600–00
6	चिकित्सा अधीक्षक	01	–	वेतन बैन्ड–3 रुपये 15600–39100	रु0 6600–00
7	वरिष्ठ चिकित्साधिकारी	26	06	वेतन बैन्ड–3 रुपये 15600–39100	रु0 6600–00

आज्ञा से,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 17 मार्च, 2011 ई0 (फाल्गुन 26, 1932 शक सम्वत्)

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of "the Constitution of India", the vernor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 302/ XX/2011-104/2010, dated March 17, 2011 for general information :

No. 302/XXXX/2011-104/2010
Dated Dehradun, March 17, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of **"the Constitution of lia"** and is supersession of all existing rules and order on the subject, the Governor is pleased to ke the following rules regulating the recruitment and condition of the service of persons ointed to the Uttarakhand Ayush (Ayurvedic and Unani) Department Group **'A'** Services.

THE UTTARAKHAND AYUSH DEPARTMENT AYURVEDIC AND UNANI SERVICES CADRE (GROUP 'A') SERVICE RULES, 2011

Part I

General

hort title and ommencement

1. (1) These rules may be called the Uttarakhand Ayush Department Ayurvedic and Unani (Group 'A') Service Rules 2011.

(2) These rules shall come into force at once.

tatus of the ervice

2. The Uttarakhand Ayush Ayurvedic and Unani Services is a State Service Comprising Group 'A' posts.

)efinitions

3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context.

(a) **'Appointing Authority'** means the Governor;

(b) **'Citizen of India'** means a person, who is or is deemed to be a citizen of India under part II of **"the Constitution of India"**;

(c) **'Substantive appointment'** means the appointment not being *an adhoc* on a post in the cadre of the service made after selections in accordance with the rule. If there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by the executive instructions issued by the Government;

(d) **'Governor'** means the Governor of Uttarakhand;

(e) **'Government'** means the State Government of Uttarakhand;

(f) **'Constitution'** means **"the Constitution of India"**;

(g) **'Service'** means the Uttarakhand Ayush (Ayurvedic and Unani) Medical Officers Group 'A' Service;

(h) **'Commission'** means the Uttarakhand Public Service Commission;

(i) **'Secretary'** means the Principal Secretary/Secretary Ayush Department as the case may be Government of Uttarakhand;

(j) **'Member of Service'** means substantively appointed under these rules or the rules or order enforce prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service.

(k) **'Year of recruitment'** means a period of 12 months commencing from the 1st day of July of a calendar year;

Part II

Cadre

Cadre of Service

4. (1) The strength of the service and each category of the post therein shall be such, as maybe determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and each category of post therein shall, until order varying the same are passed under sub-rule (1), be as given in the **appendix 'A'**;

Provided that :–

(a) the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance, any vacant post without thereby entitling any person to compensation;

(b) the Governor may create such additional temporary or permanent posts, as he may consider proper.

Part III

Recruitment

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various categories of post in the service shall be made from following sources.

(1) **Director Ayurvedic and Unani Services**	By promotion from amongst such substantively appointed Principal of Government Ayurvedic Colleges and Additional Directors, who have completed 05 years service as such and total 25 years service on the first day of recruitment year on the basis of merit, through Selection Committee. Provided that if after fulfillment of other essential qualifications for promotion Officer with 05 years service on substantive post are not available then such Officers, whose service tenure with 03 years service on substantive post may be considered for promotion.
(2) **Additional Director (Administration) Ayurvedic and Unani Services**	By promotion from amongst substantively appointed District Ayurvedic and Unani Officers/ Joint Directors, who have completed five years service as such and total 20 years service on the first day of recruitment year on the basis of merit, through Selection Committee; Provided that if after fulfillment of other essential qualifications for promotion Officer with 05 years service on substantive post are not available then such Officers, whose service tenure with 03 years service on substantive post may be considered for promotion.
(3) **Additional Director (Education) Ayurvedic and Unani Services**	By promotion from amongst substantively appointed Professors of the Government Ayurvedic Colleges, who have completed five years service as such and total 20 years service on the first day of recruitment year on the basis of merit, through Selection Committee; Provided that if after fulfillment of other essential qualifications for promotion Officer with 05 years service on substantive post are not available then such Officers, whose service tenure with 03 years service on substantive post may be considered for promotion.
(4) **Joint Director /District Ayurvedic and Unani Officer**	By promotion from Amongst substantively appointed Additional District Ayurvedic And Unani Officers, Medical Superintendent and Senior Medical Officers who have completed 05 years service as such and total 15 years service on the first day of recruitment year on the basis of seniority subject to rejection of unfit, through Selection Committee;

Provided that if after fulfillment of other essential qualifications for promotion Officer with 05 years service on substantive post are not available then such Officers, whose service tenure with 03 years service on substantive post may be considered for promotion.

(5) Additional District Ayurvedic and Unani Officers, Medical Superintendent and Senior Medical Officers		By promotion from amongst substantively appointed Ayurvedic and Unani Medical Officers, who have completed eight years service as such on the first day of recruitment year on the basis of seniority subject rejection of unfit; Provided that if after fulfillment of other essential qualifications for promotion Officer with 08 years service on substantive post are not available then such Officers, whose service tenure with 05 years service on substantive post may be considered for promotion.
Reservation	6.	Reservation for the candidate belonging of Schedule Castes/ Schedule Tribes, Other Backward Classes and Other categories to the State of Uttarakhand shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

Part IV

Qualifications

Nationality	7.	A candidate for recruitment to a position in service must be:- **(a)** a citizen of India; or **(b)** a Tibetan Refugee who came over to India before 1st January 1962 with the intention of permanently settling in India; or **(c)** a person of Indian origin migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic Of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intentions of permanently settling in India; Provided that a candidate belonging to category (a) or (b) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government; Provided further that a candidate belonging to category (b) above will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand;

Provided also that if a candidate belongs to Category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in the service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship

Note-- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same neither been issued nor refused may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificates being obtained by or issued in his favour.

Character 8. The character of a candidate for recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government services. The appointing authority shall satisfy himself/ herself in this respect.

Note -- Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a local authority or by a corporation or body owned or controlled by the Union Government or State Government shall be ineligible for appointment to any post in the service. Persons convicted of any offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status 9. A male candidate who has more than one wife living or female who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service;

Provided that the governor may, if satisfied that there exists special ground for doing so, exempted any person from the operation of this rule.

Procedure for selection by promotion 10. (1) Recruitment by promotion on the post of director Ayurvedic And unani Services, Additional Directors, Joint Director/District Ayurevedic and Unani Officers and group 'A' (Additional Ayurevedic and Unani Officers, Medical Superintendent and Senior Medical Officer) Post shall be made on the basis of prescribed standards through selection committee constituted according to "Uttarakhand Departmental Promotion Committee" (for the post outside preview of Public Service Commission) Rules 2002;

Provided that if a selection committee constituted as such does not have a person belonging to Schedule Castes/Schedule Tribes and Other Backward Classes, an officer not below the rank of Joint Secretary of State Government belonging to such Caste/Tribes and Classes, which have no representation in the committee shall be nominated as a member of the Committee.

(2) The provisions for promotion in the said posts the Uttarakhand Government Servant (Measurement for a Recruitment by Promotion) Rules, 2004 and for promotion on the posts of outside the preview of Public Service Commission, the Uttarakhand (Out of purview of the Public Service Commission) on the Basis of Seniority and Merit Subject to the Rejection of Unfit in the Government Services Procedure Rules, 2009 shall be applicable.

(3) The appointing authority shall prepare an eligibility list of the candidates and place it before the selection committee along with there character roles and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(4) The Selection Committee shall consider the candidate on the basis of there records refer to in sub-rule (3), and if it considers necessary, it may interview the candidates also.

Probation

11. (1) A person on appointment to a post on service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which the extension is granted;

Provided that save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and at no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority any time during or at the end of the period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunity or has otherwise failed to give satisfactions he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer, who is reverted or whose services are dispensed with under sub rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre for any other equivalent for higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation 12. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of the probation or the extended period of probation if his work and conduct is reported to be satisfactory, his integrity is certified and the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit to confirmation.

Seniority 13. The seniority of the persons substantively appointed in any category of post shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants (Seniority) Rules, 2002.

Part – V

Pay Scales

Pay Scales 14. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measures, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) At the time of the commencement of these rules the admissible pay scales shall be as per **appendix 'A'**.

Pay During Probation 15. Notwithstanding any provision in the fundamental rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in Permanent Government Service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service and second increment after two years service when he has successfully completed the probationary period and is also confirmed;

Provided that if the period of probation is extended on account of the failure to give satisfactions such extensions shall not count for increment unless the appointment authority directs otherwise.

Part – VI

Other Provisions

Canvassing **16.** No recommendations, either written or oral, other than those required under these rules, shall be taken into consideration and any attempt on the part of the candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulations of other matters **17.** In regards to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the services shall be governed by the rules, regulations and order applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation in the conditions of service. **18.** Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of services of person appointed to the service caused undue hardships in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order dispensed with or relaxed the requirement of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just equitable manner;

Saving **19.** Nothing in these rules shall effect reservations and other concessions required to the provided for the candidate belonging to the State of Uttarakhand of Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Special categories or persons in accordance with the Government order issued from time to time in this regard.

Appendix 'A'

[See rule 4(2) and rule 14(2)]

S. No.	Name of Post	Permanent	Temporary	Admissible pay band from dated 01-01-2006	Grad pay
1	2	3	4	5	6
1	Director, Ayurvedic and Unani Services	01	--	Pay band -4 37400-67000	Rs. 10,000.00
2	Additional Director (Administration)	--	01	Pay band -4 37400-67000	Rs. 8700.00
3	Additional Director (Education)	--	01	Pay band -4 37400-67000	Rs. 8700.00
4	Joint Director/ District Ayurvedic and Unani Officer	13	05	Pay band-3 15600-39100	Rs. 7600.00
5	Additional District Ayurvedic and Unani Officer	--	08	Pay band-3 15600-39100	Rs. 6600.00
6	Medical Superintendent	01	--	Pay band-3 15600-39100	Rs. 6600.00
7	Senior Medical Officer	26	06	Pay band-3 15600-39100	Rs. 6600.00

By Order,

RAJEEV GUPTA,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 आयुष / 122–2011–100+200 (कम्प्यूटर / सीडियों)।

2069
13/12/16

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग
संख्या–2465/XXXX/2016-12/2001 T.C-II
देहरादून: दिनांक 13 दिसम्बर, 2016

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग (समूह "क") सेवा नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:

उत्तराखण्ड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा सवंर्ग समूह "क" (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2016

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग समूह "क" (प्रथम संशोधन) सेवा नियमावली, 2016 होगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2– उत्तराखण्ड आयुष विभाग आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा संवर्ग (समूह "क") सेवा नियमावली, 2011 जिसे यहाँ आगे मूल नियमवाली कहा गया है, के भाग–3 भर्ती नियम 5(1) एवं 5(3) के संशोधन में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

भाग–3 भर्ती,	स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत का नियम 5(1) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अपर निदेशकों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा एवं कुल 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा,	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्राचार्यों और अपर निदेशकों में से निदेशक पद पर पदोन्नति हेतु मूल पद पर कुल 25 वर्ष या प्राचार्य/अपर निदेशक पद पर 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर ली हो। योग्यता (Merit) के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा,
	परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु अन्य अपेक्षित अर्हताओं को पूर्ण करने के पश्चात् भी मूल पद पर निर्धारित 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारी उपलब्ध न हो तो मूल पद पर 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है।	परन्तु यह कि यदि पदोन्नति हेतु प्राचार्य/अपर निदेशक के पद पर निर्धारित 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारी उपलब्ध न हो तो, प्राचार्य/अपर निदेशक के पद पर 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है।

5(3) अपर निदेशक (शिक्षा) आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालयों के प्रोफेसरों में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा एवं कुल 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, श्रेष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, परन्तु यह कि यदि पदोन्नति अन्य अपेक्षित अर्हताओं को पूर्ण करने के पश्चात् भी मूल पद पर निर्धारित 05 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारी उपलब्ध न हो तो मूल पद पर 03 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों की पदोन्नति पर विचार किया जा सकता है।	वर्तमान में गुरुकुल आयुर्वेदिक कॉलेज एवं ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन कर दिए गये है। अतः वर्तमान परिस्थितियों में अपर निदेशक (शिक्षा) का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। तदनुसार इस पद को निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,

(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

क्रम संख्या–86

पंजीकृत संख्या–यू०ए० / डी०ओ० / डी०डी०एन० / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 10 मार्च, 2010 ई0
फाल्गुन 19, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

संख्या 195 / XXXX / 2010–81 / 2001
देहरादून, 10 मार्च, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–39

राज्यपाल 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड आयुष (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) विभाग की समूह ''ख'' सेवा में भर्ती तथा सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड आयुष (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) विभाग समूह ''ख'' सेवा नियमावली–2010

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (क) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुष (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) विभाग समूह ''ख'' सेवा नियमावली 2010 है।
(ख) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड आयुष (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) समूह "ख" सेवा एक राज्य सेवा है जिसमें समूह "ख" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में–

(अ) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से राज्यपाल अभिप्रेत है;

(आ) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली 12 मास की अवधि अभिप्रेत है;

(इ) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का संविधान के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(ई) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है; जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो;

(उ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(ऊ) 'सरकार' से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ऋ) 'संविधान' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(ए) 'निदेशक' से निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ऐ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी समूह "ख" सेवा अभिप्रेत है;

(ओ) 'आयोग' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(औ) 'सचिव' से प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड सरकार आयुष(आयुर्वेदिक एवं यूनानी) विभाग अभिप्रेत है;

(अं) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

भाग 2–संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक की उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट में दी गयी है।

(क)परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा और

(ख)राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वे उचित समझें।

भाग 3–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

आरक्षण

6. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार होगा।

भाग 4–अर्हताएं

राष्ट्रीयता	7. सेवा में किसी पद पर भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी– (क) भारत का नागरिक हो, या (ख) तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय: से पहली जनवरी, 1962 के पहले भारत आया हो, या (ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केनिया, युगाण्डा और युनाईटेड रिपब्लक ऑफ तन्जानिया(पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो; परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थियों को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो; परन्तु, यह कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले; परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले। टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को,जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या

साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

आयु

8. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को,जिसमें आयोग द्वारा भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जाय, 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन–जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी निनिर्दिष्ट की जाय;

परन्तु यह और कि राज्यपाल आयोग की संस्तुति पर किसी अभ्यर्थी या किसी वर्ग के अभ्यर्थी के पक्ष में उच्चतर आयु सीमा को शिथिल कर सकते हैं यदि वह इसे न्याय संगत एवं जनहित में आवश्यक समझें।

शैक्षणिक अर्हताएं

9. सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिएं :–

<u>अर्हताऐं</u>

आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी,

(एक) अनिवार्य:

(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक या यूनानी तिब में उपाधि।

या

	भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की आयुर्वेदिक या यूनानी तिब में पांच वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि।
	(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में पंजीकरण और
	(ग) राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या ऐलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप।
प्रबन्धक, स्टेट फार्मेसी	(एक) अनिवार्यः
	(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक या यूनानी तिब में उपाधि। या
	भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड की आयुर्वेदिक या यूनानी तिब में पॉच वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि।
	(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड से वैद्य या हकीम के रूप में पंजीकरण, और
	(ग) राज्य के आयुर्वेदिक, यूनानी या एलोपैथिक चिकित्सालय या औषधालय का कम से कम छः मास का व्यावसायिक अनुभव या एक वर्ष की इन्टर्नशिप।
चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)	(एक) अनिवार्यः
	(क) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से
	आयुर्वेद में 05 वर्ष या साढ़े चार वर्ष की उपाधि जो कि भारतीय चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड से पंजीकृत हो एवं योग में कम से कम एक वर्षीय डिप्लोमा।

(ख) हिन्दी, अंग्रेजी और संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान।

(दो) अधिमानी;

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा का तीन वर्ष का व्यावसायिक अनुभव।

अधिमानी अर्हता

10. (1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की सेवा

या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या राज्य सरकार या संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में नियंत्रणाधीन निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12. पुरुष जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों अथवा जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगी।

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि उनका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद् की परीक्षा में सफल पाया गया है।

भाग 5–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा, परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की अवधारण चिकित्साधिकारियों तथा अन्य पदों की सम्मिलित संख्या के आधार पर किया जायेगा, मानो वह एक समूह है ।

भाग 6–नियुक्ति परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

सीधी भर्ती की प्रकिया

15. (1) चयन के लिए विचारार्थ आवेदन–पत्र विहित पत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) नियम 6 के अधीन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग तथा

अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अपेक्षित अर्हताएं पूरी करने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितनी वह उचित समझे।

(3) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों द्वारा प्रकटित प्रवीणता के क्रम में सूची बनायेगा। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर–बराबर अंक प्राप्त
करते हैं तो आयोग उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर कमांक्ति किये जायेंगे। सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से (अनधिक) होगी। आयोग सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा ।

नियुक्ति

16. नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नाम उसी, क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 15 के उपनियम(3) के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्तियां करेगा।

परिवीक्षा

17. (क)सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा ;

(ख)नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक निर्दिष्ट किया जायेगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय ;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(ग) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके

अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी अधिकारी ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है, या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो, उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(घ) ऐसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवाएं उपनियम (ग) के अधीन समाप्त की जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(ङ) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

स्थायीकरण

18 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्त में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय, सत्यनिष्ठता प्रमाणित कर दी जाय और नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

19. किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली,2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी ।

भाग–7 वेतनमान

वेतनमान

20.(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट के अनुसार होंगे ।

परिवीक्षा अवधि में वेतन

21. (1) मूल नियमों मेंकिसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने 01 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढायी जाये तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नही की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें ।

भाग– 8 अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन

22. किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य कर देगा।

ड्यूटी पर बैज सहित एप्रन पहनना

23. (1) सेवा का प्रत्येक सदस्य जब वह ड्यूटी पर हो, तो नाम और पदनाम वाले बैज सहित एप्रन, जैसा सरकार के परामर्श से निदेशक द्वारा समय समय पर बताया जायेगा, पहना जायेगा।

(2) कोई भत्ता या किसी प्रकार का व्यय सेवा के किसी सदस्य को उपनियम (1) के अधीन पोशाक(ड्रेस) के तैयार करने,क्रय करने या बदलने के लिए अनुमन्य नहीं होगा।

अन्य विषयों का विनियमन

24. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य–कलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

25. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तें विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने से पूर्व उस निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

26. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

क सं.	पदनाम	स्थायी	अस्थायी	दिनांक 1.1.2006 से देय वेतनमान	ग्रेड वेतन
1.	आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्साधिकारी	758	–	वेतनमान पे बैन्ड–3 15600–39100	रु0 5400–00
2.	प्रबन्धक,स्टेट फार्मेसी	01	–	वेतनमान पे बैन्ड–3 15600–39100	रु0 5400–00
3.	चिकित्साधिकारी (योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा)	01	–	वेतनमान पे बैन्ड–3 15600–39100	रु0 5400–00

आज्ञा से,

केशव देसिराजू,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no 195/XXXX/2010-81/2001, Dehradun, dated March 10, 2010 for general information:

No 195/XXXX/2010-81/2001
Dated Dehradun, March 10, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the "Constitution of India" and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating the recruitment and conditions of services of persons appointed to the Uttarakhand AYUSH (Ayurvedic and Unani) Department Group 'B' Service.

THE UTTARAKHAND AYUSH (AYURVEDIC AND UNANI) Department GROUP 'B' SERVICE RULES, 2010

Part-I-General

Short title and commencement

1. (a) These rules may be called 'The Uttarakhand Medical (Ayurvedic and Unani) Group 'B' Service Rules, 2010.

(b) These Rules shall come into force at once.

Status of the Service

2. The Uttarakhand Medical (Ayurvedic and Unani) Service is a State Service comprising Group 'B' Posts.

Definitions 3. In these Rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) 'Appointing' Authority' means the Governor.

(b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(c) 'Commission' means the Uttarakhand Public Service Commission;

(d) 'Constitution' means the Constitution of India;

(e) 'Director' means the Director, Ayurvedic and Unani Services, Uttarakhand:

(f) 'Government' means the State Government of Uttarakhand;

(g) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand;

(h) 'Member of the Service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules, to a post in the cadre of the Service;

(i) 'Secretary' means the, Secretary, Principal Secretary, Ayurvedic and Unani Department, Government of Uttarakhand.

(j) 'Service' means the Uttarakhand Ayurvedic and Unani Group 'B' Service;

(k) Substantive appointment means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the Service, made after selection in accordance with the rules, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being, by executive instructions issued by the Government;

(l) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar Year.

Part-II-Cadre

Cadre of Service

4. (1) The strength of the Service and each category of posts therein shall be such, as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and each category of posts therein shall, until order varying the same are passed under sub-rule(1), be as given in the Appendix;

(a) The Appointing Authority may leave unfilled or the Governor, may hold in abeyance, any vacant post without thereby entitling any person to compensation;

(b) The Governor may create such additional temporary or permanent posts, as he may consider proper.

Part-III-Recruitment

Source of recruitment

5. Recruitment to the posts in the Service shall be made by direct recruitment through the Commission.

Reservation 6. Reservation for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be made in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

Part-IV-Qualifications

Nationality 7. A candidate for direct recruitment to the Service must be:-

(a) A citizen of India; or

(b) A Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or

(c) A person of Indian origin migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) above will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in the service beyond a period of one year, shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

Note A candidate, in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Age **8.** A candidate for direct recruitment to any post in the service must have attained the age of twenty-one years and must not have attained the age of more than thirty-five Years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies for direct recruitment are advertised by Commission :

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be greater by such number of years as may be specified.

Provided further that Governor may, on the recommendetion of the Commission, relex the upper age limit in favour of any candidate or class of candidates if he considers thie necossary in the interest of fair dealing or in the public interest.

Academic qualifications **9.** A candidate for direct recruitment to the various posts in the Service must have following qualifications:-

Post	Qualifications
Medical Officer Ayurvedic and Unani	(i) Essential

			(a) Bachelor's degree from a university established by law with Ayurvedic or Unani Tib. or Five years or four and a half years Degree from Indian MedicalCouncil, Uttarakhand in Ayurvedic or Unani Tib. (b) Registered as Vaidya or Hakeem with the Indian Medical Council,Uttarakhand. and (c) At least six month professional experience or one years internship in an Ayurvedic, Unani, Allopathic hospital or dispensary.
	Manager, Pharmacy	State	(i) Essential (a) Bachelor's degree from a university established by law with Ayurvedic or Unani Tib. And Five years or four and a half years Degree from Indian MedicalCouncil, Uttarakhand in Ayurvedic or Unani Tib from Indian Medical Council.

	(b)Registered as Vaidya or Hakkeem with the Indian MedicalCouncil, Uttarakhand. and
	(c)At least six month professional experience or one years internship in an Ayurvedic, Unani, Allopathic hospital or dispensary.
Medical Officer(Yoga and Naturopathy)	(i) Essential Qualification
	(a) 05 years or four and a half years Degree in Ayurved from any University established by law, registered with the Indian Medical Council, Uttarakhand and at least one year Diploma in Yoga.
	(b) Adequate knowledge of Hindi, English and Sanskrit.
	(ii) Preferential qualification:
	(b) Three years professional experience of Yoga and Naturopathy in any recognised institution.

Preferential qualifications 10. A candidate who has;

(a) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years.

(b) Obtained 'B' certificate of National Cadet Corps.

Character 11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employment in Government Service. The Appointing Authority shall satisfy himself/herself in this respect.

Note- Persons dismissed by the Union Government or by a State Government or by a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital status 12. A male candidate, who has more than one wife living or female candidate who has married a man, already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service;

Provided that the Governor may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical fitness 13. No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board.

PART V-PROCEDURE FOR RECRUITMENT

Determination of vacancies

14. The Appointing Authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories under rules 6.

Provided that the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Casts, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be determined on the basis of the combined number of medical officers and other posts as if they belong to the same groups.

PART VI-Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Procedure for direct recruitment

15.(1) Applications for being considered for selection shall be called by the Commission in the prescribed form.

(2) The Commission shall, having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6, call for interview such number of candidates, who fulfil the requisite qualifications, as it consider proper.

(3) The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview. If two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their

names in order of merit on the basis of their general suitability for the Service, the number of the names in the list shall be more (but not more than 25%) than the number of the vacancies. The Commission shall forward the list to the Appointing Authority.

Appointment 16. The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of the candidates in the order in which they stand in list prepared under sub rules ((3) of rule 15.

Probation 17. (a) A person on appointment to a post or Service in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(b) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in exceptional circumstances the period of probation shall not be extended beyond one year and at no circumstances beyond tow years.

(c) If it appears to the Appointing Authority any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(d) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (c) shall not be entitled to any compensation.

(e) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation **18.** A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if.

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory.

(b) his integrity is certified, and

(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority **19.** The seniority of persons substantively appointed in any category of posts shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants (Seniority) Rules, 2002.

PART VII- Pay etc

20. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service, whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) At the time of the commencement of these rules the admissible pay scales shall be as per the Appendix

Pay during probation

21. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service when he has successfully completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise

Canvassing

22. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or Service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Wearing of Apron with Badge on duty :

23. (1) Every member of the Service, while on duty shall wear apron with name and designation on the Badge as laid down from time to time by the Director in consultation with the Government.

(2) No allowance or expenditure of any kind shall be admissible to any member of the Service for preparing, purchasing replacing of dress under sub-rule (1).

Regulation of other matters 24. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State

Relaxation in the conditions of service-- 25. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner :

Provided that where a rule has been framed in consultation with the Commission, that Body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed

Saving 26. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and special categories or persons in accordance with the Government orders issued from time to time in this regard.

By Order,

KESHAV DESIRAJU,
Principal Secretary

पी०एस०यू० (आर०ई०) 07 चिकित्सा/186–2010–100+300 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–203 (क)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0जी0 / डी0डी0ए0–30 / 2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 04 नवम्बर, 2010 ई0

कार्तिक 13, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

संख्या 1067 / XXXX–2010–11 / 2009

देहरादून, 04 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–152

राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा निदेशालय के अन्तर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है–

उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी सेवा नियमावली

2010

भाग 1– सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1 (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी सेवा नियमावली, 2010 है

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2 उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला वैज्ञानिक अधिकारी सेवा में समूह 'ख' के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3 जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस नियमावली में –

(क) 'नियुक्ति अधिकारी' से राज्यपाल उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत का संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए,

(ग) 'आयोग' से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(घ) 'संविधान' से 'भारत का संविधान' अभिप्रेत है;

(ड) 'निदेशक' से निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखण्ड, अभिप्रेत है;

(च) 'सरकार' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(छ) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है ;

(ज) 'सेवा का सदस्य' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है,

(झ) 'सेवा' से उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक अधिकारी सेवा अभिप्रेत है,

(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है जो तदर्थ नियुक्त न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किए गए कार्यपालक अनुदेशों के द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो,

(ट) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो – संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4 (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित की जाए।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक कि परिवर्तन करने के आदेश न दिए जाएं उतनी होगी जितनी परिशिष्ट –1 में दी गयी है।

परन्तु यह कि –

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससें कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा,

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग तीन – भर्ती

भर्ती का स्रोत

5 सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी, अर्थात –

(क)वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान) –

(1) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा,

(2) 50 प्रतिशत विभाग में कार्यरत ऐसे वैज्ञानिक सहायकों में से जिन्होनें कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(ख)वैज्ञानिक अधिकारी (वनस्पति विज्ञान) –सीधी भर्ती द्वारा।

(ग) वैज्ञानिक अधिकारी (आई.एस.एम.) –सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्ग और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

भाग 4 – अर्हताएं

रिक्तियों का अवधारण

7 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी –

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, यूगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तागानिका) और जंजीबार से पव्रजन किया हो:

परन्तु यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त कर ले:

परन्तु अग्रत्तर यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जाएगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी – ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

शैक्षिक अर्हताएं

8 सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए–

वैज्ञानिक अधिकारी(रसायन विज्ञान) (1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में प्रथम श्रेणी/उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि ।

(2)किसी राजकीय प्रयोगशाला या औषधि संस्थान में औषध विश्लेषण का पाँच वर्ष का अनुभव।

वैज्ञानिक अधिकारी (वनस्पति विज्ञान)(1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान में प्रथम/ उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि।

(2) किसी प्रयोगशाला या मान्यता प्राप्त संस्थान में पादपों की पहचान/परीक्षण कार्य पर पाँच वर्ष का अनुभव।

अधिमानी अर्हताएं

(1) आधुनिक वैज्ञानिक मशीनों यथा हाई परफार्मेन्स थिनलेयर क्रोमेटोग्रेफी/हाई परफार्मेन्स लिक्यूड क्रोमेटोग्रेफी आदि पर कार्य का अनुभव

(2) संबंधित विषय पर शोध–लेख प्रकाशन

वैज्ञानिक अधिकारी (आई.एस.एम.) –(1) विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में स्नातक उपाधि

(2) किसी आयुर्वेदिक निर्माणशाला में औषधि विनिर्माण का एक वर्ष का अनुभव

(3) हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत का कार्यसाधक ज्ञान।

अधिमानी अर्हताएं

(1) किसी मान्यता प्राप्त संस्था से रस शास्त्र में प्रथम / उच्च द्वितीय श्रेणी में स्नातकोत्तर अर्हता, अथवा

(2) किसी संस्थान में क्लीनिकल अनुसंधान अथवा शोधकार्य का अनुभव, एवं

(3) मौलिक शोध–पत्रों/ पुस्तक का प्रकाशन।

अधिमानी अर्हताएं

9 ऐसे अभ्यर्थी जिसने –

(1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

आयु

10 सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई को, जिस वर्ष रिक्तियां यथास्थिति विज्ञापित

या अधिसूचित की जाए 21 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडे वर्गो और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में, उच्चतर आयु सीमा उतनें वर्ष अधिक होगी, जितनी विनिर्दिष्ट की जाए।

चरित्र

11 सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र

ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार के उपयुक्त हो । नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12 सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नही होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नही होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से जीवित पत्नी हो:

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13 किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यो का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह वित्तीय हस्त पुस्तिका (फाइनेन्शियल हैण्ड बुक), खण्ड दो, भाग तीन के अध्याय–तीन में दिए गए मूल नियम (फण्डामेन्टल रूल) 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा चयनित अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

भाग पांच – भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14 नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 5 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और आयोग को सूचित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15 (1)चयन के लिए विचारार्थ आवेदन–पत्र विहित पत्र में आयोग द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे।

(2) आयोग, नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अपेक्षित अर्हताएं पूरी करने वाले उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा जितने वह उचित समझे।

(3) आयोग प्रत्येक अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार में प्राप्त अकों द्वारा प्रकटित प्रवीणता के कम में सूची बनायेगा । यदि दो या अधिक अभ्यर्थी को बराबर–बराबर अंक प्राप्त करते हैं तो आयोग उनके नाम सेवा के लिये उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर क्रमांक्ति करेगा । सूची में नामों की संख्या, रिक्तियों की संख्या से अधिक (25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग, सूची नियुक्ति अधिकारी को अग्रसारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये प्रक्रिया

16 पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 2003 के अनुसार अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर की जायेगी।

संयुक्त चयन सूची

17 यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से बारी–बारी से इस प्रकार लिए जाएंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे। सूची में पहला नाम, पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा।

भाग–6 नियुक्ति, पदोन्नति, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18 (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हो।

(2) जहाँ, भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हो, वहां नियमित नियुक्तियाँ तब तक नहीं की जायेगी जब तक दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाए और नियम 17 के अनुसार एक संयुक्त सूची न तैयार कर ली जाए।

(3)यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किए जाए तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जाएगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति चयन में अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाए, ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो नाम नियम 17 में निर्दिष्ट क्रम के अनुसार रखे जाएंगे।

परिवीक्षा–

19 (1) किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किऐ जाएंगे, अलग–अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है, जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ायी जाए;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी।

(3)यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है, तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं।

(4) ऐसा परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाए या जिसकी सेवाए समाप्त की जाए, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर, स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा की परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिये गणना करने की अनुमति दे सकेगा।

स्थायीकरण

20 किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जाएगा,

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाए।

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाए और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि वह स्थायी किए जाने के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता–

21 (1) किसी श्रेणी के पद पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता, मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से, और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाएं तो उस क्रम में जिनमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गए हों, अवधारित की जाएगी;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाए तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति का दिनांक समझा जाएगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किए जाने के दिनांक से होगा;

परन्तु यह और कि, यदि किसी एक चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किए जाएं तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 18 उपनियम (3) के अधीन जारी किए गए नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो;

परन्तु अग्रसर यह भी कि सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है, यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की वैधता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा

(2) जहाँ नियुक्तियाँ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जाए और स्रोतों का अलग–अलग कोटा विहित हो, वहाँ उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 17 के अनुसार चक्रानुक्रम में उनके नाम रख कर तैयार की गयी संयुक्त सूची में ऐसी रीति से, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे, अवधारित की जायेगी:

परन्तु यह कि–

(एक) जहाँ किसी एक स्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से अधिक की जाए, वहां कोटे से अधिक नियुक्ति व्यक्तियों को ज्येष्ठता अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में, जिसमें कोटे के अनुसार रिक्तियां हों, कर दी जाएगी।

(दो) जहाँ किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाएं वहाँ इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाए, इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनके नाम चक्रानुक्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे उपर रखे जाएगे।

(तीन) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ सुसंगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में अन्य स्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती है तो इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों वे अपने कोटे की रिक्तियों के प्रति नियुक्त किए गए हों।

भाग सात – वेतन इत्यादि

वेतनमान–

22 (1)सेवा में श्रेणी–दो के पदों पर चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाए।

(2)इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान नीचे परिशिष्ट– 1 दिए गए हैं :–

परिवीक्षा अवधि में वेतन

23 (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है तो उसे समयमान वेतन में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जाएगी जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जाएगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उस स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जाएगी, जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।

(2)ऐसे व्यक्ति को, वेतन जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यत लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा

भाग आठ – अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

24 किसी पद या सेवा पर लागू नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं लिखित या मौखिक सिफारिशों पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

25 ऐसे विषयों के संबंध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्य–कलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्य रूप से लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा की शर्तों में शिथलीकरण

26 जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाए कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हे वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ;

परन्तु यह कि जहाँ कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो वहाँ उस नियम की अपेक्षाओं को अभिमुक्त या शिथिल करने के पूर्व उक्त निकाय से परामर्श किया जायेगा।

व्यावृत्ति

27 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनकी व्यवस्था इस संबंध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन–जातियों पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट –1

(नियम 4 (2) देखिए)

इस नियमावली के प्रारम्भ में सेवा की सदस्य संख्या

क्रमांक	पद नाम	वेतन बैण्ड	वेतनमान (रू)	ग्रेड वेतन (रू)	पदों की संख्या		योग
		वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400	स्थायी	अस्थायी	
1.	वैज्ञानिक अधिकारी (रसायन विज्ञान)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400	01	01	02
2.	वैज्ञानिक अधिकारी (वनस्पति विज्ञान)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400	–	01	01
3.	वैज्ञानिक अधिकारी (आई.एस.एम.)	वेतन बैण्ड–3	15600–39100	5400	–	01	01
	योग				01	03	04

आज्ञा से,

राजीव गुप्ता,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1067/XXXX-2010-11/2009, Dehradun, dated November 04, 2010 for general information :

No. 1067/XXXX-2010-11/2009
Dated Dehradun, November 04, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the ' Constitution of India' and in supersession of all the existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of services of persons appointed to Drug Testing Laboratories under the Ayurvedic and Unani Services Directorate, Uttarakhand

THE UTTARAKHAND AYURVEDIC DRUG TESTING LABORATORIES SCIENTIFIC OFFICERS SERVICE RULES, 2010

Part I—*General*

Short title.

1 (1) These rules may be called The Uttarakhand Ayurvedic Drug Testing Laboratoris Scientific Officers Service Rules, 2010.

(2)They shall come into force at once.

Status of Service.

2 The Uttarakhand Ayurvedic Drug Testing Laboratories Scientific Officers Service comprises Group 'B' posts.

Definitions.

3 In these rules unless there is any thing repugnant in the subject or context,—

(a)'Appointing authority' means the Governor of Uttarakhand;

(b) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) 'Commission' means the Uttarakhand Public Service Commission;

(d) 'Constitution' means the Constitution of India;

(e) 'Director' means the Director of Ayurvedic and Unani Services Uttarakhand;

(f) 'Government' means the State Government of Uttarakhand ;

(g) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand ;

(h) 'Member of the service' means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(i) 'Service' means the Uttarakhand Ayurvedic Drug Testing Laboratories Scientific Officers Service;

(j) 'Substantive appointment' means an appointment not being an *ad hoc* appointment on a post in the cadre of the Service made after selection in accordance with the rules and if there were no rules in accordance with the procedure prescribed for the time being by the executive instructions issued by the Government;

(k) 'Year of recruitment' means the period of twelve months commencing from the first day of July of calendar year.

Part II—*Cadre*

Cadre of Service.

4 (1) The strength of Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service and each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed, be as given in Appendix 'I' ;

Provided that—

(a)The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without there by entitling any person to compensation;

(b) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

Part III—*Recruitment*

Source of Recruitment.

5 Recruitment to the various categories of the posts in the Service shall be made from the following sources: namely-

(a)*Scientific Officer(Chemistry)*—	(1) 50 per cent by direct recruitment ;
	(2) 50 per cent by promotion from amongst such Scientific Assistants who have completed at least Ten years continuous satisfactory service.
(b) *Scientific Officer (Botany)*—	By direct recruitment.
(c) *Scientific Officer (I.S.M)*—	By direct recruitment.

Reservation

6 Reservation for the candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of recruitment.

PART IV—*Qualifications*

Nationality.

7 A candidate for direct recruitment to a post in the Service must be—

(a) a citizen of India, or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before 1962 with the intension of permanent setting in India.

(c) Indian origin such person who came over to India from Pakistan, Burma, Sri Lanka, any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch of Uttarakhand.

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above no certificate of eligibility shall be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in the Service for a period of one year shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor denied may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic qualifications8 A candidate for direct recruitment to the various posts in the Service must possess the following qualifications:

Scientific Officer (Chemistry)	(1) First / Higher second class Post graduate degree in Chemistry from a university established by law. (2) 5 year Testing or analysis experience in Government laboratory or a drug institute.
Scientific Officer (Botany)	(1) First / Higher second class Post graduate degree in Botany from a University established by law. (2) 5 years experience of identifications examination of plant in any Government Laboratory are recognized institute
Preferential qualifications	(1) Working experience of modern scientific instruments such as High Performance Thin Layer Chromatography/High Performance Liquid Chromatography etc; (2) Publication of research papers in the concerned field.
Scientific Officer (ISM)	(1) A Graduate degree in Ayurved from a university established by law. (2)One year is working experience in manufacture of Ayurvedic drugs from in any Ayurvedic manufacturing unit. (3) Working knowledge of Hindi, English and Sanskrit.

Preferential qualifications

(1) First / high second class Post Graduate qualification in Rasa Shastra from a recognized institute in.

(2) Experience of clinical research of any recognized institute;

(3) Publication of original research papers/ books.

Preferential qualifications. **9** A candidate, who has

(1) Served in Territorial Army for a minimum period of two years', or

(2) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

Age. **10** A candidate for direct recruitment must have attained the minimum age of 21 years and must not have attained more than the maximum age of 35 years on the first day of July of the calendar year in which the vacancies are advertised or notified ,as a case may be provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and such categories belonging to the state of Uttrakhand as may be notified by Government from time to time, shall be higher by such number of years as may be specified.

Character. **11** The character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for appointment in Government Service.The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE—Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or Corporation or a

body owned or controlled by the Union Government or by State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

Marital Status. 12 A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service:

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

Physical Fitness **13** No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in a good mental and physical, bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordanance with the rules provided under fundamental rules to contained in chapter III of Financial hand book volume part II part III;

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V—*Procedure for recruitment*

Determination of vacancies.

14 The appointing authority shall determine and intimate to the Commission the number of vacancies to be filled during the course of a year in accordance to the rules in force for the time being as also the number of vacancies to be reserved for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, and Other Backward Classes and Other Categories belonging to the State of Uttarakhand. under rule 5.

Procedure of direct recruitment.

15 (1) Applications for being considered for selection shall be invited by the Commission in the prescribed form.

(2)The Commission shall having regard to the need for securing due representation of the candidates belonging to Scheduled castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Other Categories other categories belong to the State of Uttarakhand under rule 6 call for interview such number of candidates who fulfill the requisite qualifications, as they consider proper.

(3)The Commission shall prepare a list of candidates in order of their proficiency as disclosed by the marks obtained by each candidate in the interview; if two or more candidates obtain equal marks, the Commission shall arrange their names in order of their merit on the basis of their general suitability for the Service. The number of the names in the list shall be more (but not more than 25 per cent) than the number of vacancies. The Commission shall forward the list to the appointing authority.

Procedure for recruitment by promotion.

16 Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit in accordance with the Uttarakhand promotion by Selection in Consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 2003 as amended from time to time.

Combined Selection List.

17 If in any year of recruitment, appointments are made both by direct recruitment and by promotion, a combined select list shall be prepared by taking the names of candidates from the relevant lists, in such manner that the prescribed percentage is maintained, the first name in the list being of the person appointed by promotion.

PART VI—*Appointment, Promotion, Confirmation and Seniority*

Appointment.

18 (1) Subject to the provisions of sub-rule (2) the appointing authority shall make appointment by taking the names of the candidates in the order in which they stand in the lists prepared under Rules 15, 16 or 17, as the case may be.

(2) Where in any year of recruitment, appointments are to be made both by direct recruitment and by promotion, regular appointments shall not be made unless selections are made from both the sources and a combined list is prepared in accordance with rule 17.

(3) If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted. If the appointments are made both by direct recruitment and by promotion, names shall be arranged in accordance with the order, referred to in rule 17.

Probation.

19 (1) A person on appointment to a post in or against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

(2) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date upto which the extension is granted:

Provided that, save in, special circumstance the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4)A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5)The appointing authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation.

20 A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if—

(a) his work and conduct are reported to be satisfactory;

(b) his integrity is certified, and

(c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority.— 21 (1) The seniority of persons in any category of posts shall be determined from the date of the order of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, in the order in which their names are arranged in the appointment order:

Provided that if the appointment order clarifies a particular back date with effect from which a person is substantively appointed, this date will be deemed to be the date of order of substantive appointment and in other cases, it will mean the date of issue of the order:

Provided further that, if more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, the seniority shall be as mentioned in the combined order of appointment issued under sub-rule (3) of rule 18:

Provided also that a candidate recruited directly may lose his seniority if he fails to join without valid reasons when vacancy is offered to him. The decision of the appointing authority as to the validity of reason shall be final.

(2)Where appointments are made both by promotion and direct recruitment or from more than one source and respective quotas of the sources are prescribed, the *inter se* seniority shall be determined by arranging the names in a cyclic order, in a combined list prepared in accordance with rule 17, in such manner that the prescribed percentage is maintained:

Provided that—

(i)Where appointments from any source are made in excess of the prescribed quota, the persons appointed in excess of quota shall be pushed down, for seniority, to subsequent year or years in which there are vacancies in accordance with the quota.

(ii)Where appointments from any source fall short of the prescribed quota and appointments against such unfilled vacancies are made in a subsequent year or years, the person so appointed shall not get the seniority of any earlier year but shall get the seniority of the year in which their appointments are made, so, however, that in the combined list of that year, to be prepared under this rule, their names shall be placed at the top followed by the names, in the cyclic order, of the other appointees.

(iii)Where in accordance with the rules or prescribed procedure, the unfilled vacancies from any source could, in the circumstances mentioned in the relevant rule or procedure, be filled from the other source and appointment in excess of quota are so made, the persons so appointed shall get the seniority of that very year as if they are appointed against the vacancies of the quota.

PART VII—*Pay etc.*

Scales of pay. 22 (1)The scales of pay admissible to persons appointed to the class II cadre of the post in the Service whether in a substantive or officiating capacity or as a temporary measure, shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules are as given in **appendix-1**

Pay during Probation. 23 (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules, to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, and second increment after two years service, when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2)The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3)The pay during probation of a person already in permanent Government service shall be regulated by the relevant rules, applicable to Government servants generally serving in the connection with the affairs of the State.

Part VIII—*Other Provisions*

Canvassing. 24 No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post or service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Regulation of other matters. 25 In regard to the matters not specifically covered by this rules or by special orders, persons appointed to the Service shall be governed by the rules and regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

26 Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regarding the conditions of Service of persons appointed to the Service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that when a rule has been framed in consultation with the Commission that Body shall be consulted before the requirements of the rule are dispensed with or relaxed.

Savings.

27 Nothing in these rules shall affect reservation and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories of persons belong to the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix I
[See Rule 4(2)]

Strength of Service on the commencement of these Rules

Serial no.	Designation	Pay Band			Number of posts		Total
			Pay Scale	Grade Pay	Permanent	Temporary	
1.	Scientific Officer (Chemistry)	Pay Band -3	15600-39100	5400	01	01	02
2.	Scientific Officer (Botany)	Pay Band-3	15600-39100	5400	-	01	01
3.	Scientific Officer (I.S.M.)	Pay Band-3	15600-39100	5400	-	01	01
Total :-			**01**	**03**	**01**	**03**	**04**

By Order,

RAJEEV GUPTA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 01 आयुष एवं आयुष शिक्षा / 536–2010–100+100 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–206 (ख)

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 27 नवम्बर, 2015 ई0

अग्रहायण 06, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

संख्या 2637/XXXX/2015–36/2014

देहरादून, 27 नवम्बर, 2015

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक परिचारिका (आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक परिचारिका सेवा नियमावली, 2015

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक परिचारिका सेवा नियमावली, 2015 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2–उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक परिचारिका सेवा एक ऐसी अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3–जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में :–

(क)–**"नियुक्ति प्राधिकारी"** से निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख) **"भर्ती का वर्ष"** से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस, से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(ग)"**भारत का नागरिक**" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,जो "भारत का संविधान" के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(घ)"**मौलिक नियुक्ति**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ङ.) "**राज्यपाल**" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च) "**सरकार**" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ)"**संविधान**" से "**भारत का संविधान**" अभिप्रेत है;

(ज) "**सेवा**" से आयुर्वेदिक परिचारिका समूह "ग" सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "**सेवा का सदस्य**" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर किस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व प्रवृत्त किसी नियम या आदेश के उपबन्धों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

भाग–2 संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्यों की संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय ।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें; सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है।

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते है, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

भाग– 3 भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–

(एक) **मैटर्न**– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आयुर्वेदिक सिस्टर ट्यूटर में से, जिन्होंने भर्ती वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर सम्मिलित रुप से कम से कम 14 वर्ष की सेवा पूर्ण की हों व सिस्टर जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में

7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर कम से कम 14 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। मैटर्न के पद पर पदोन्नति के प्रयोजनार्थ सिस्टर एवं सिस्टर ट्यूटर की एक संयुक्त पात्रता सूची उनकी मौलिक नियुक्ति दिनांक के आधार पर उनके नाम रखकर तैयार की जायेगी।

(दो) सिस्टर ट्यूटर– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आयुर्वेदिक सिस्टर जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो तथा अधीनस्थ पदों पर सम्मिलित रुप से कम से कम 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(तीन) सिस्टर– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आयुर्वेदिक परिचारिका (स्टाफ नर्स) जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 7 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(चार) आयुर्वेदिक परिचारिका (स्टाफ नर्स) सीधी भर्ती द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हताएं

पात्रता

7– सेवा में सीधी भर्ती के लिये केवल महिला अभ्यर्थी पात्र होंगी।

राष्ट्रीयता

8– राजकीय सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो;

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) का हो तो, पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी:– ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार मे सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण – पत्र या तो वह प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षणिक अर्हता

9. सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :–

पद	अनिवार्य अर्हताएं:–
आयुर्वेदिक परिचारिका (आयुर्वेदिक स्टाफ नर्स)	(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडियट विज्ञान वर्ग (जिसमें अनिवार्य रुप से जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं भौतिक विज्ञान विषय के रुप में रहा हो) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो। (ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में आयुर्वेदिक परिचारिका का 3 वर्ष 6 माह का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो। (ग) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

अधिमानी अर्हताएं

10. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(दो) नेशनल कैडेट कोर का "बी" या उच्चतर प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) राष्ट्रीय सेवायोजन का **"सी"** प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

11. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु यदि वह 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते है तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को 18 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिये । यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते हैं तो उस वर्ष की 01 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 42 होनी चाहिये ।

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

चरित्र

12. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा;

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

वैवाहिक प्रास्थिति

13. सेवा में सीधी भर्ती के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगें जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

परन्तु, यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

14. किसी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक अभ्यर्थी का मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे मानसिक दोष से युक्त न हो, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड, 2 भाग–3 के अध्याय–3 में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार **स्वस्थता** प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से **स्वस्थता** प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग 5–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

15. नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार,वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

16. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(दो) अध्यक्ष, द्वारा नाम निर्देशित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी (जो अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,उत्तराखण्ड के स्तर से कम का न हो), यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। –सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी (जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के स्तर से कम न हो) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। –सदस्य

(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। –सदस्य

(2) सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र का प्रारुप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र उपनियम (2) में प्रकाशित प्रारुप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा ;

(एक) ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों, में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(4) उपनियम (3) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारुप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(5) चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता–क्रम में, डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष के अनुसार जैसा कि डिप्लोमा परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंको से प्रकट हो, गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

17– पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये ज्येष्ठता के आधार पर समय समय पर यथा संशोधित विभागीय पदोन्नति समिति का गठन उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति के लिए चयन प्रक्रिया नियमावली 2013 के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे।

(एक) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड —अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष, द्वारा नाम निर्देशित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी (जो अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड के स्तर से कम का न हो), यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। —सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी (जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के स्तर से कम न हो) यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। —सदस्य

(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। —सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अर्ह अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित ऐसे अभिलेख जो उचित समझे जाय, चयन समिति के समक्ष रखेगी।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर तथा उपनियम (1) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

18. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 14,15 अथवा 16 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्त करेगा।

(2) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जाये तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख जेष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति, चयन में अवधारित की जाये, या जैसी उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जा रहा है।

परिवीक्षा

19. (1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 2 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलखित करने होंगे;

परन्तु यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी;

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाऐं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाए समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणनों के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

20. (1) नियम 17 उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसके पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि :–

(क) उनका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है; तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है, कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है;

ज्येष्ठता

21.(1) किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्राविधानों के अनुरूप अवधारित की जायेगी;

भाग–7 वेतन आदि

वेतनमान

22 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट "क" के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

23. (1)मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और जहाँ विहित हो, प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा,

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए नहीं गिनी जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग–8 यूनीफार्म कोड (वर्दी)

24.(1)स्टाफनर्स(परिचारिका) हेतुः–सफेद सलवार कुर्ता, दुपट्टा/साडी, ब्लाउज (कालर वाला), बटन गहरे भूरे रंग के, सफेद मौजे व काले जूते/सैण्डिल। गहरे भूरे रंग की नाम पटिटका (नेम प्लेट)जिस पर सफेद रंग से स्टाफ नर्स (परिचारिका) का नाम अंकित हो ।

शीत काल हेतु– नेवी ब्लू रंग का कार्डिगन/ ब्लेजर ।

24.(2) **सिस्टर हेतुः**– सफेद सलवार कुर्ता/सफेद साडी, सफेद ब्लाउज (कालर वाला), लाल बटन, सफेद मौजे व काले जूते/सैण्डिल। लाल रंग की नाम पटिटका(नेम प्लेट) जिस पर सफेद रंग से सिस्टर का नाम अंकित हो ।

शीत काल हेतु– नेवी ब्लू रंग का कार्डिगन/ ब्लैक ब्लेजर ।

24.(3)**मैटर्न(मातृका)/सिस्टर ट्यूटर हेतु** :– सफेद साडी,सफेद ब्लाउज पूरी बांहों वाला (कालर वाला),नेवी ब्लू रंग के बटन, सफेद मौजे व काले जूते/सैण्डिल। नेवी ब्लू रंग की नाम पटिटका (नेम प्लेट)जिस पर सफेद रंग से मैटर्न(मातृका) का नाम अंकित हो ।

शीत काल हेतु– सफेद रंग का कार्डिगन/ब्लेजर।

भाग 9–अन्य प्राविधान

पक्ष समर्थन

25. इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक कोई विचार नही किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिय अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

26. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में,जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते,सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

27. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई हो सकती हैं, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस नियम की अपेक्षाओं से अभियुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो वह मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा साम्मतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझें।

व्यावृत्ति

28. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट ''क''

क्र सं.	पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	दिनांक 1.1.2006 से देय वेतन बैन्ड	ग्रेड पे
1	आयुर्वेदिक परिचारिका (स्टाफ नर्स)		44	9300–34800	4600
2	सिस्टर		14	9300–34800	4800
3	सिस्टर ट्यूटर		02	9300–34800	4800
4	मैटर्न (मातृका)		05	15600–39100	5400

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 08 आयुष / 704–2015–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–139

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0जी0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बुधवार, 19 अगस्त, 2009 ई0
श्रावण 28, 1931 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

चिकित्सा अनुभाग–1

संख्या 1047/चि0–1–2009–90/2007
देहरादून, 19 अगस्त, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–151

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली, 2009

भाग 1–सामान्य

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली, 2009 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2. सेवा की प्रास्थिति–

उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा एक ऐसी अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।

3. परिभाषाएं–

जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में –

(क) "छंटनीशुदा कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है :

(एक) जिसने राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न, मौलिक रूप में, कम से कम एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए निरन्तर सेवा की हो,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो,

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं होगा;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ग) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाला बारह मास का अवधि अभिप्रेत है;

(घ) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" से भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(ङ) "मौलिक नियुक्ति" से सेवा के सवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेय है;

(ज) "संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा" से आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग भैषजिक, समूह "ग" सेवा अभिप्रेत है;

(ञ) "सेवा का सदस्य" से नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

भाग 2–संवर्ग

4. सेवा संवर्ग–

(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें; सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है :

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित कर सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

भाग 3–भर्ती

5. भर्ती का स्रोत–

सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

(एक) आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सीधी भर्ती द्वारा।

(दो) यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सीधी भर्ती द्वारा।

(तीन) मुख्य आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट), में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।

(चार) प्रभारी फार्मेसी अधिकारी–मौलिक रूप से नियुक्त भैषजिक जो पदोन्नति द्वारा मुख्य भैषजिक के रूप में कार्य कर रहे हों, और कुल 24 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों वरिष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।

6. आरक्षण–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हताएँ

7. राष्ट्रीयता–

राजकीय सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) का हो तो, पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र या तो वह प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8. शैक्षिणक अर्हता–

सेवा में विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :–

पद	अनिवार्य अर्हताएं
भैषजिक (फार्मासिस्ट) आयुर्वेदिक और यूनानी	(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (बाइलोजी ग्रुप) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	(ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में आयुर्वेदिक या यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) का दो वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

9. अधिमानी अर्हताएं–

अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(दो) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) राष्ट्रीय सेवायोजन का "सी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

10. आयु–

सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को, जिसमें रिक्तियां, यथास्थिति, विज्ञापित या अधिसूचित की जाय, 18 वर्ष से कम और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए:

परन्तु यह कि–

उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जायेगी, जैसा कि विहित किया जाय।

11. चरित्र–

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

12. वैवाहिक प्रास्थिति–

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या कोई ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो :

परन्तु, यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

13. शारीरिक स्वस्थता–

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक मानसिक और शारीरिक रूप से स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे मानसिक दोष से युक्त न हो, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भवना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्त–पुस्तिका के खण्ड 2 भाग–3 के अध्याय–3 में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग 5–भर्ती प्रक्रिया

14. रिक्तियों का अवधारण–

नियुक्ति प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

15. सीधी भर्ती की प्रक्रिया–

(1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड	–	अध्यक्ष
(दो) उप निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड	–	सदस्य
(तीन) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी, जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से निम्न पद का न हो	–	सदस्य
(चार) अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित शासन द्वारा नामित एक अधिकारी, जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से निम्न पद का न हो	–	सदस्य

(2) सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र का प्ररूप नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन–पत्र उप नियम (2) में प्रकाशित प्ररूप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा :–

(एक) ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके,

(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(4) उप नियम (3) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(5) चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता–क्रम में, डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष के अनुसार जैसा कि डिप्लोमा परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करें तो चयन समिति अभ्यर्थियों को उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

16. पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया–

पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर गठित चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड	–	अध्यक्ष
(दो) उप निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड	–	सदस्य
(तीन) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी, जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से निम्न पद का न हो	–	सदस्य
(चार) अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित शासन द्वारा नामित एक अधिकारी, जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से निम्न पद का न हो	–	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अर्ह अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगी।

(3) चयन समिति उप नियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर तथा उप नियम (1) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

17. नियुक्ति–

(1) उप नियम (2) के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 14, 15 अथवा 16 यथास्थिति, के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्त करेगा।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किया जाय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, यथास्थिति जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नति किया गया है, किया जायेगा।

18. परिवीक्षा–

(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे :

परन्तु यह है कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढाई जायेगी।

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उप नियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणनों के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

19. स्थायीकरण–

किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा यदि–

(क) उनका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है; तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

20. ज्येष्ठता–

(1) किसी श्रेणी के पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के प्राविधानों के अनुरूप अवधारित की जायेगी :

परन्तु यह कि किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उस संवर्ग में रही होगी, जिससे उसकी पदोन्नति की गयी थी।

(2) सेवा में किसी श्रेणी के पद पर ज्येष्ठता, मौलिक नियुक्ति के दिनांक से और यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें, तो उस क्रम में जिसमें उनके नाम नियुक्ति आदेश में रखे गये हों, निर्धारित की जायेगी।

भाग 7–वेतन आदि

21. वेतनमान–

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान वह होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट "क" के अनुसार होंगे।

22. परिवीक्षा के दौरान वेतन–

(1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने, विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने और जहाँ विहित हो, प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, समयमान में पृथक वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसे बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए आगणित नहीं की जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है तो संहत मूल नियमों से विनियमित किया जायेगा :

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए आगणित नहीं की जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8–अन्य प्राविधान

23. अन्य विषयों का विनियमन–

ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

24. सेवा शर्तों का शिथिलीकरण–

जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

25. व्यावृत्ति–

इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट "क"

क्र0सं0	पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	दिनांक 1–1–2006 से देय वेतन बैन्ड	ग्रेड पे
1.	प्रभारी फार्मेसी अधिकारी	01	–	वेतन बैन्ड–2 9300–34800	4200.00
2.	मुख्य आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट)	10	–	वेतन बैन्ड–2 9300–34800	4200.00
3.	आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट)	500	40	वेतन बैन्ड–1 5200–20200	2800.00
4.	यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट)	03	02	वेतन बैन्ड–1 5200–20200	2800.00

आज्ञा से,

केशव देसिराजू,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1047/XXVIII-1-2009-90/2007, dated August 19, 2009 for general information :

No. 1047/XXVIII-1-2009-90/2007
Dated Dehradun, August 19, 2009

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India and in suppression of all existing rules and order on the subject the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to the Uttarakhand Ayurvedic and Unani Pharmacist Service:--

THE UTTARAKHAND AYURVEDIC AND UNANI PHARMACIST SERVICE RULES, 2009

PART I--GENERAL

1--Short title and Commencement--

(1) These Rules may be called The Uttarakhand Ayurvedic and Unani Pharmacist Service Rules, 2009.

(2) These rules shall come into force at once.

2--Status of the Service--

The Uttarakhand Government Ayurvedic and Unani Pharmacist Service is a subordinate Service Comprising Group "C" posts.

3--Definitions--

In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context--

(A) Retrenched employee means a person:

(i) who was employed in permanent, temporary or officiating capacity under the rule making power of the Governor, for a minimum period of one year continuous service,

(ii) who has been or may be dismissed from service on account of reduction or winding up of the establishment,

(iii) in whose favour a certificate of being a retrenched employee has been issued by to appointing authority, however this does not include any persons employed purely on ad hoc basis;

(B) 'Appointing Authority' means the Director Ayurvedic and Unani Services Uttarakhand;

(C) 'Year of recruitment' means a period of twelve months commencing from the first day of July of a calendar year;

(D) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under part II of the Constitutions;

(E) 'Substantive appointment' means an appointment, not being an ad hoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance' with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government; and

(F) 'Governor' means the Governor of Uttarakhand;

(G) 'Government' means the State Government of Uttarakhad;

(H) 'Constitution' means the Constitution of India;

(I) 'Service' means a Ayurvedic and Unani Pharmacist Service;

(J) 'Member of the Service' means a person Substantively appointed under these rules of or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service.

PART II--CADRE

4--Cadre of Service--

(1) The Strength of the Service and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The Strength of the Service and each category of posts therein shall, Until orders varying the same are passed under sub-rule (1) be as given in Appendix:

Provided that--

(i) The appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(ii) The Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III--RECRUITMENT

5--Source of recruitment--

Recruitment to the various categories of posts in the Service shall be made from the following soureces :--

(i) Ayurvedic Pharmacist by direct recruitment.

(ii) Unani Pharmacist by direct recruitment.

(iii) Chief Ayurvedic Pharmacist by promotion from amongst those such substantively appointed pharmacists who have completed ten years service as such on the first day of the year of recruitment.

(iv) Incharge Pharmacy Officer by promotion on the basis of seniority, subject to rejection of unfit, from amongst such substantive by appointed Pharmacists, who are working as Chief Pharmacist by promotion and completed total 24 years of Service.

6--Reservation--

Reservation for the candidates belonging Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV--QUALIFICATIONS

7--Nationality--

A candidate for direct recruitment to a post in Government Service must be --

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan refugee who came over to India before 1st January, 1962 with the intention of permanently setting in India; or

(c) a person of India origin migrated from Pakistan, Burma, Ceylon or any of the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttarakhand.

Provided also that a candidate belonging to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and shall be subject to his acquiring Indian citizenship.

NOTE--A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused. May be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtainted by him or issued in his favour.

8--Academic Qualifications--

A candidate for recruitment to the various posts in the Service must possess the following qualifications :--

Post	Essential Qualifications
Pharmacist Ayurvedic and Unani	(a) A candidate must have passed Intermediate Science examination (Biology group) from the Board of Intermediate U.P./Uttarakhand Board of Education and Examination or any other examination recognized by the Government equivalent there to.
	(b) Must have obtained two years diploma in Ayurvedic & Unani Pharmacy form any institution recognized by the Government and must also be registered with the Indian Medical Council, Uttarakhand.

9--Preferential qualification--

A candidate who has--

(i) served the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(ii) obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps.

(iii) obtained 'C' certificate of N.S.S. shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

10--Age--

A candidate for direct recruitment must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of more than 35 years on July 1 during which the post are advertised or notified:

Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward classes and such other categories as may be notified by the Government from time to time shall be higher by such number to the Stat of years as may be specified.

11-Character--

The Character of a candidate for direct recruitment to a post in the Service must be such as to render him suitable in all respects for employmant in Government Uttarakhand Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point.

NOTE-- Persons dismissed by the Union Government or a State Government or by a Local Authority or a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or a State Government shall be ineligible for appointment to any post in the Service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.

12--Marital Status--

A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the Service :

Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

13--Physical fitness--

No candidate shall be appointed to a post in the Service unless he be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties, Before a candidate is finally approved for appointment he shall be required to produce a Medical Certificate of fitness in accordance with the rules framed under fundamental Rule 10 contained in Chapter III of the Financial Hand-Book, Volume II, Part II:

Provided that a medical certificate of fitness shall not be required from a candidate recruited by promotion.

PART V--PROCEDURE FOR RECRUITMENT

14--A Determination of vacancies--

The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other categories belonging to the State of Uttarakhand under rule 6.

15-- Procedure for direct recruitment--

(1) For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a Selection Committee Comprising--

(i) Director Ayurvedic and Unani Services, Uttarakhand	–	Chairman
(ii) Deputy Director Ayurvedic and Unani Services, Uttarakhand	–	Member
(iii) An Officer not below the rank of District Ayurvedic and Unani Officer belonging to Scheduled caste or Schedule tribes	–	Member
(iv) An Officer belonging to Other Backward Classes not below the rank of District Ayurvedic and Unani Officer,	–	Member

(2) For direct recruitment-- the Appointing Authority shall advertise the performa of application from at least in two daily newspapers having wide circulation.

(3) The Appointing Authority shall invite the applications for direct recruitment in the proforma published issuing under sub-rule (1) in the following manner and shall notify the vacancies.

(i) By advertisement in two daily newspapers having wide circulation.

(ii) By pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/ Doordarshan and other employment newspapers.

(iii) By notifying the vacancies to the Employment Exchange.

The application form shall not be published again at the time of notification of vacancies under sub-rule (3).

The Selection Committee shall prepare a list of candidates in order of merit, as disclosed by marks obtained by them passing year wise diploma examination. If two or more candidates obtain equal marks, the Selection Committe shall arrange their names in order of their general suitability for the post. The number of the names in the list shall be larger (but notlarger by more than 25 per cent) than the number of the vacancies. The list so prepared shall hold for one year only.

ure for recruitment by promotion--

ruitment by promotion shall be made on the basis of seniority, subject to the rejection of ugh a Selection Committee constituted as under:--

For the purpose of direct recruitment there shall be constituted a Seciton Committee comprising--

(i) Director Ayurvedic and Unani Services, Uttarakhand	–	Chairman
(ii) Deputy Director Ayurvedic and Unani Services, Uttarakhand	–	Member
(iii) An Officer not below the rank of District Ayurvedic and Unani Officer belonging to Scheduled caste or Schedule tribes	–	Member
(iv) An Officer belonging to Other Backward Classes not below the rank of District Ayurvedic and Unani Officer,	–	Member

The Appointing Authority shall prepare a list of the eligible candidates arranged in order of seniority, and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered proper.

The Selection Committee shall consider the cases of selected candidates on the basis of the records, referred to in sub-rule (2) under sub-rule (1).

The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and forward the same to the Appointing Authority.

--APPOINTMENT, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

nent–

Subject to the provisions of sub-rule (2) the Appointing Authority shall make appointment by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rules, 14, 15 or 16 as the case may be.

If more than one order of appointment are issued in respect of any one selection, a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted.

n–

A person on appointment to a post in the Service against a permanent vacancy shall be placed on probation for a period of two years.

The Appointing Authority may, for reasons to be recorded extend the period of probation in writing the date upto which the extension is granted:

Provide that save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period probation.

19–Confirmation–

A Probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if–

(a) his work and conduct is reported to be satisfactory,

(b) his integrity is certified, and

(c) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

20–Seniority–

(1) The seniority of persons substantively appointment to any category of post shall be determined in accordance with the Uttarakhand Government Servants Seniority Rules, 2002 as amended from time to time :

Provided that the inter se seniority of persons or any category of posts shall be the same as it was in the cadre from which they were promoted.

(2) The seniority of persons in any category of posts shall be determined from the date of substantive appointment and if two or more persons are appointed together, by such order in which their names or arrange in the appointment order.

PART VII–PAY ETC.

21–Scales of pay–

(1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the Service such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales of pay at the time of the commencement of these rules shall be in accordance with Appendix- "A."

22–Pay during probation–

(1) Notwithstanding any provisions in the Fundamental Rules, to the contrary person on probation, if he is not already in permanent Government service, shall be allowed his first increment in the time scale when he has completed one year of satisfactory service, has passed departmental examination and undergone training. Where prescribed, and second increment after two years service when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the Appointing Authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to the Government serving in connection with the affairs of the State.

PART VIII--OTHER PROVISION

23--Regulation of other matters--

In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders persons appointed to the Service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

24--Relaxation from the conditions of service--

Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the Service caused undue hardship in any particular case, it may notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule such extent and subject to such conditions as it may consider necessary dealing with the case in a just and equitable manner.

25--Saving--

Nothing in these rules shall affect reservations and other conessions reguired to the provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and other special categories or persons in to the State of Uttarakhand accordance with the orders of the Government issued from time in this regard.

Appendix "A"

S.No	Name of post	Permanent	Temporary	Pay band payable w.e.f. 1-1-2006	Grade pay
1.	Pharmacy Officer	01	–	Pay band-2 9300-34800	4200.00
2.	Chief Pharmacist (Ayurvedic)	10	–	Pay band-2 9300-34800	4200.00
3.	Pharmacist (Ayurvedic)	500	40	Pay band-1 5200-20200	2800.00
4.	Pharmacist (Unani)	03	02	Pay band-1 5200-20200	2800.00

By Order,

KESHAV DESIRAJU,
Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 7 चिकित्सा/433–2009–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

क्रम संख्या–214 (ख)

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0जी0/डी0डी0एन0–30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 25 नवम्बर, 2010 ई0
अग्रहायण 04, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

संख्या 1125/XXXX–2010–90/2010
देहरादून, 25 नवम्बर, 2010

अधिसूचना

प्रकीर्ण

प0 आ0–162

राज्यपाल, "**भारत का संविधान**" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली, 2009 में अग्रेत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियम बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2010

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2010 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

नियम 2 का प्रतिस्थापन

2. उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा नियमावली, 2009, जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है, में नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 2 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

	स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2.	उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा एक ऐसी अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह 'ग' के पद समाविष्ट है।	2. उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक एवं यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सेवा एक ऐसी अधीनस्थ सेवा है, जिसमें समूह 'क', 'ख' एवं 'ग' के पद समाविष्ट हैं।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

3. मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा; अर्थात् –

	स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5.	सेवा मे विभिन्न श्रेणियो के पदो पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतो से की जायेगी :–	5. सेवा मे विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–
	(एक) आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सीधी भर्ती द्वारा।	(एक) आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सीधी भर्ती द्वारा।
	(दो) यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सीधी भर्ती द्वारा।	(दो) यूनानी भैषजिक (फार्मेसिस्ट) सीधी भर्ती द्वारा।
	(तीन) मुख्य आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, पदोन्नति द्वारा।	(तीन) मुख्य आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट) मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आयुर्वेदिक भैषजिक (फार्मेसिस्ट) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	(चार) प्रभारी फार्मेसी अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त भैषजिक, जो पदोन्नति द्वारा मुख्य भैषजिक के रूप में कार्य कर रहे हो और कुल 24 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों, वरिष्ठता के आधार पर, पदोन्नति द्वारा।	(चार) प्रभारी फार्मेसी अधिकारी– मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे भैषजिक, जो पदोन्नति द्वारा मुख्य भैषजिक के रूप में कार्य कर रहे हों और जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को कुल 24 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

(पाँच)	—	(पाँच) उपनिदेशक फार्मेसी– "मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रभारी फार्मेसी अधिकारी में से, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को कुल 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।

नियम 16 का प्रतिस्थापन

4. मूल नियमावली में, नीचे स्तम्भ 1 में दिए गए वर्तमान नियम 16 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् –

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16. पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी, जिसमे निम्नलिखित होंगे :–	16 (क) पदोन्नति द्वारा भर्ती, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए, ज्येष्ठता के आधार पर गठित चयन समिति के माध्यम से की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे :–
(एक) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी यूनानी सेवाएं, उत्तराखण्ड **अध्यक्ष**	(एक) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखण्ड **अध्यक्ष**
(दो) उप–निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखण्ड **सदस्य**	(दो) उप–निदेशक फार्मेसी आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उत्तराखण्ड **सदस्य**
(तीन) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोई अधिकारी, जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से निम्न पद का न हो **सदस्य**	(तीन) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति का कोई अधिकारी, जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से निम्न पद का न हो **सदस्य**
(चार) अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित शासन द्वारा नामित एक अधिकारी, जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से निम्न पद का न हो **सदस्य**	(चार) अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित शासन द्वारा नामित एक अधिकारी, जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से निम्न पद का न हो **सदस्य**
	(ख) (1) उप–निदेशक के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती समय–समय पर यथासंशोधित "उत्तराखण्ड विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों के लिए) नियमावली 2002" के उपबन्धों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से दिये गये मापदण्ड के आधार पर की जाएगी;

परन्तु यह कि यदि इस प्रकार गठित चयन समिति में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों में से प्रत्येक से सम्बन्धित व्यक्ति सम्मिलित नहीं है तो ऐसी जातियों/जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों, जिसका चयन समिति में प्रतिनिधित्व नहीं है, से सम्बन्धित कोई अधिकारी, जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न स्तर का न हो, चयन समिति के सदस्य के रूप में नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अर्ह अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के क्रम में एक सूची तैयार करेगी और उनकी चरित्र पंजिका तथा उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेख, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगी।

(2) उक्त पदों पर पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक" (पदोन्नति) द्वारा भर्ती के लिए (मापदण्ड) नियमावली, 2004 एवं लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर पदोन्नति हेतु "उत्तराखण्ड (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर) राज्याधीन सेवाओं में अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता एवं श्रेष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा किए जाने वाले चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2009 के प्रावधान लागू होंगे"।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर तथा उपनियम (1) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों तथा उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा;

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता के आधार पर सूची तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

(4) चयन समिति उपनियम (3) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

आज्ञा से,
चन्द्र सिंह नपलच्याल
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1125/XXXX-2010-90/2010, Dehradun, dated November 25, 2010 for general information :

No. 1125/XXXX-2010-90/2010
Dated Dehradun, November 25, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the **"Constitution of India,"** the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend the Uttarakhand Ayurvedic and Unani Pharmacists Services Rules, 2009.

The Uttarakhand Ayurvedic and Unani Pharmacists (Amendment) Services Rules, 2010

Short title and commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Ayurvedic and Unani Pharmacists (Amendment) Services Rules, 2010.

(2) They shall come into force at once.

Substitution of Rule 2

2. In the Uttarakhand Ayurvedic and Unani Pharmacists Services Rules, 2009 (hereinafter referred to as Principals Rules), for existing rule 2 set out in column 1 below, the rules as set out in column 2 shall be substituted , namely :–

Column 1 Existing rule	Column 2 Rule as hereby substituted
2. The Uttarakhand Ayurvedic and Unani Pharmacists Services is a subordinate services comprising Group 'C' posts.	2. The Uttarakhand Ayurvedic and Unani Pharmacists Services is a subordinate services comprising Group 'A', 'B' and 'C' posts.

Substitution of Rule 5

2. In the principal rules for existing rule 5 set out in column 1 below, the rules as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

	Column 1 Existing rule	Column 2 Rule as hereby substituted
5.	Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made for the following sources :-	5. Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made for the following sources :-
	(i) Ayurvedic Pharmacist by direct recruitment;	(i) Ayurvedic Pharmacists by direct recruitment;
	(ii) Unani Pharmacists by direct recruitment;	(ii) Unani Pharmacists by direct recruitment;
	(iii) **Chief Ayurvedic Pharmacist** - recruitment by promotion from such substantively appointed Ayurvedic Pharmacists, who has completed 10 years services as such on the first date of year of recruitment .	(iii) **Chief Ayurvedic Pharmacist** - recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit from such substantively appointed Ayurvedic Pharmacists, who has completed 10 years services as such on the first date of year of recruitment.
	(iv) **Incharge Pharmacy Officer**- recruitment by promotion from such substantively appointed Ayurvedic Pharmacists, who has completed 24 years services as Chief Pharmacist on the basis of seniority;	(iv) **Incharge Pharmacy Officer**- recruitment by promotion from such substantively appointed Chief Ayurvedic Pharmacists and who has completed 24 years services on the basis of seniority subject to the rejection to the unfit by the selection committee;
	(v) ---	(v) **Deputy Director Pharmacy** – recruitment by promotion from such substantively appointed Incharg Pharmacy Officer and who has completed 30 years services on the basis of seniority subject to the rejection to the unfit by the selection committee.

Substitution of Rule 16

4. In the principal rules for existing rule 16 set out in column 1 below, the rules as set out in column 2 shall be substituted, namely :-

Column 1 Existing rule	Column 2 Rule as hereby substituted
16. Recruitment by promotion shall be made on the merit subject to the rejection of unfit through selection committee, comprises –	16. (a) Recruitment by promotion shall be made on the merit subject to the rejection of unfit through selection committee, comprises –
(i) Director, Uttarakhand Ayurvedic and Unani Services - **Chairperson**	(i) Director, Uttarakhand Ayurvedic and Unani Services - **Chairperson**
(ii) Deputy Director Uttarakhand Ayurvedic and Unani Services - **Member**	(ii) Deputy Director, Uttarakhand Ayurvedic and Unani Services - **Member**
(iii) Any officer of Scheduled Casts/ Scheduled Tribes, who is not less then the post of the District Ayurvedic and Unani Officers - **Member**	(iii) Any officer of Scheduled Casts/ Scheduled Tribes, who is not less then the post of the District Ayurvedic and Unani Officers - **Member**
(iv) A officer nominated by the State Government from other Backward Classes, who is not less then the post of the District Ayurvedic and Uniani Officer. - **Member**	(iv) A officer nominated by the State Government from other Backward Classes, who is not less then the post of the District Ayurvedic and Uniani Officer. - **Member**
	(b) (1) On the post of Deputy Director recruitment by promotion shall be made according to the provisions of the Uttarakhand Departmental Constitution of Committee for Promotion (Out of Preview the Post from the Public Service Commission) Rules, 2002; Provided that, if in the constituted selection committee the concerning person from every categories of Scheduled Caste/ Scheduled Tribes and Other

Backward Classes is not in the committee then such casts/tribe casts and other Backward Classes, who has not representation in the Selection Committee from concerning any officer, who is not below the rank of Joint Secretary shall be nominated as member of the selection committee.

(2) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates arranged in order of seniority and place it before the Selection Committee along with their character rolls and such other record, pertaining to them, as may be considered proper.	(2) On the said post for promotion, the provisions of the Uttarakhand Government Servant for recruitment by (Promotion) (Measurement) Rules, 2004 and for promotion on the post of the Uttarakhand (Out of Preview of the Public Service Commission) for Procedure by Promotion on the basis of Merit and Seniority subject to the Rejection of Unfit Rules, 2009 shall be applicable.
(3) The Selection Committee shall be considering on the matter of selected candidates on the basis of records as referred in sub-rule (2) and sub-rule (1).	(3) The Selection Committee shall prepare and eligibility list of candidates and place before the Selection Committee along with there character roles and such other records pertaining to them, as may be consider proper.
(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates arranged in order of seniority and the forward same to the Appointing Authority.	(4) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (3) and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

By Order,

CHANDRA SINGH NAPALCHYAL,
Add. Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 आयुष एवं आयुष / 563–2010–100+150 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

क्रम संख्या–152 (ख) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0ए0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 13 अगस्त, 2015 ई0

श्रावण 22, 1937 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

संख्या 1978/XXXX/2015–66/2012

देहरादून, 13 अगस्त, 2015

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टैक्नीशियन) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते है:–

उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टैक्नीशियन) सेवा नियमावली, 2015

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) **इस नियमावली का संक्षिप्त** नाम उत्तराखण्ड आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक(पंचकर्म टैक्नीशियन) **सेवा नियमावली, 2015 है।**

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. **उत्तराखण्ड** आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टैक्नीशियन) **सेवा एक ऐसी अधीनस्थ सेवा है,** जिसमें **समूह "ग" के पद समाविष्ट हैं।**

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" से निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख) "भर्ती का वर्ष" से किसी कैलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

(ग)"भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,जो "भारत का संविधान"के भाग II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;

(घ)"मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संदर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रकिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ड.) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;

(च) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(छ)"संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;

(ज) "सेवा" से आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक(पंचकर्म टैक्नीशियन), समूह "ग" सेवा अभिप्रेत है;

(झ) "सेवा का सदस्य" से सेवा के संदर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) "छंटनीशुदा कर्मचारी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है:–

(एक) जिसने राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी पद पर स्थायी, अस्थायी या स्थानापन्न, मौलिक रूप में, कम से कम एक वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए निरन्तर सेवा की हो,

(दो) जिसे अधिष्ठान में कमी या उसका परिसमापन किये जाने के कारण सेवा से अवमुक्त किया गया हो;

(तीन) जिसके सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छंटनीशुदा कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो, किन्तु इसके अन्तर्गत तदर्थ आधार पर नियोजित कोई व्यक्ति नहीं होगा।

भाग–2 संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाये।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिवर्तन न किया जाए उतनी ही होगी जितनी परिशिष्ट "क" में दी गयी है,

परन्तु यह कि–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(दो) राज्यपाल समय–समय पर ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं, जैसा वह उचित समझें।

भाग– 3 भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टैक्नीशियन) के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायेगी।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. राजकीय सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) का हो तो, पात्रता प्रमाण –पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो यह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण –पत्र या तो वह प्राप्त कर ले या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

शैक्षिणक अर्हता

8. सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हताएं होनी चाहिए :–

पद
आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टैक्नीशियन)

(क) उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद/उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद से इण्टरमीडिएट विज्ञान वर्ग (बाइलोजी ग्रुप) परीक्षा या सरकार के द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण हो।

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक (पंचकर्म टैक्नीशियन) का एक वर्ष का डिप्लोमा प्राप्त किया गया हो एवं भारतीय चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकृत हो।

(ग) उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत हो।

अधिमानी अर्हताएं

9. अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जायेगा जिसने–

(एक) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो, या

(दो) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या

(तीन) राष्ट्रीय सेवायोजन का " सी " प्रमाण –पत्र प्राप्त किया हो।

आयु

10. सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कलैण्डर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती की रिक्तियां विज्ञापित की जाये पहली जुलाई को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 42 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो :

परन्तु यह और कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी, जितनी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर सामान्य आदेशों से विनिर्दिष्ट की जायें।

चरित्र

11. सेवा के किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा;

टिप्पणी–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा। नैतिक अधमता के अपराध से सिद्धदोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे;

वैवाहिक प्रास्थिति

12. पुरुष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परन्तु, यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा; यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक हस्तक्षेप की सम्भवना हो, किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड, 2 भाग–4 के अध्याय–3 में दिये गये मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करे;

भाग 5–भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

14. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों को नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1) सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिए चयन समिति गठित की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :–

(एक) निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें उत्तराखण्ड –**अध्यक्ष**

(दो) संयुक्त निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड –**सदस्य**

(तीन) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से निम्न स्तर का न हो –**सदस्य**

(चार) अन्य पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित शासन द्वारा नामित एक अधिकारी, जो जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी से निम्न पद का न हो –**सदस्य**

(2) सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र का प्रारुप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा, न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों में, जिनका व्यापक परिचालन हो, प्रकाशित किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, निम्नलिखित रीति से, सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र उपनियम (2) में प्रकाशित प्रारुप पर आमंत्रित करेगा और रिक्तियां अधिसूचित करेगा :

(एक) ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों, में जिसका व्यापक परिचालन हो, विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन करके, और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियां अधिसूचित करके।

(4) उपनियम (3) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन पत्र का प्रारुप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(5) चयन समिति, अभ्यर्थियों की योग्यता–क्रम में, डिप्लोमा परीक्षा उत्तीर्ण करने के वर्ष के अनुसार जैसा कि डिप्लोमा परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों से प्रकट हो, गुणानुक्रम के आधार पर अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगी। यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करे तो चयन समिति अभ्यर्थियों उनकी सामान्य उपयुक्तता के आधार पर योग्यता क्रम में रखेगी। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु 25 प्रतिशत से अधिक नहीं) होगी। इस प्रकार तैयार की गयी सूची केवल एक वर्ष के लिए मान्य होगी।

भाग 6–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

16. (1) उपनियम (2) के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 14, और 15 के अधीन बनायी गयी सूचियों में हों, नियुक्त करेगा।

(2) यदि किसी चयन के संबंध में एक से अधिक नियुक्ति आदेश जारी किये जॉय तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख यथास्थिति, चयन में यथा अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर किया जायेगा।

परिवीक्षा

17. (1) मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को 02 वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलखित करने होंगे;

परन्तु उपबन्ध यह है कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी;

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है, तो उसकी सेवाऐं समाप्त की जा सकेंगी।

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम(3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणनों के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

18. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर दिया जायेगा यदि:–

(क) उनका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है तथा

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है;

ज्येष्ठता

19. (1) मौलिक रुप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथासंशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,2002 के प्राविधानों के अनुरूप अवधारित की जायेगी;

भाग–7 वेतन आदि

वेतनमान

20 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा, जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट "क" के अनुसार होंगे ।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

21. (1)मूल नियमों में किसी प्रतिकूल प्राविधान के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति, यदि स्थायी सरकारी सेवा में नहीं है, तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने और जहाँ विहित हो, प्रशिक्षण प्राप्त करने पर, समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए आगणित नहीं की जायेगी।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है संगत मूल नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा,

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दें, ऐसी बढ़ाई गयी अवधि वेतन वृद्धि के लिए आगणित नहीं की जायेगी।

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में है, राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सामान्य सेवारत सेवकों पर लागू संगत नियमों द्वारा विनियमित किया जायेगा।

भाग 8–अन्य प्राविधान

अन्य विषयों का विनियमन

22. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों के सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों विनियमों और आदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

पक्ष समर्थन

23. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से समर्थन प्राप्त करने के प्रयास का प्रमाण उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

24. जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती हैं, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वह मामले मे न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति

25. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट ''क''

क्र सं.	पद का नाम	स्थायी	अस्थायी	वेतन बैन्ड	ग्रेड पे
1	आयुर्वेदिक पंचकर्म सहायक(पंचकर्म टैक्नीशियन)		88	वेतन बैन्ड–1 5200–20200	2400

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 07 आयुष/492–2015–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तरांचल शासन
चिकित्सा अनुभाग–1

अधिसूचना
प्रकीर्ण

07 नवम्बर, 2002 ई0

संख्या 719/चि–1–2002–81/2002–चूँकि, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन, उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तरण कर सकती है, जो आवश्यक एवं समीचीन हों ;

तथा, चूँकि, उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में यथावत् लागू है ;

अतः, अब, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29, सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते हैं कि उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991 उत्तरांचल में निम्नलिखित प्रविधानों के अध्यधीन लागू रहेगी :–

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991)
अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना :

उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991 में जहां–जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां–वहां यह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991 के भाग–सात के नियम 21 में पद एवं वेतनमान निम्नवत् पढ़े जायेंगे :–

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान
	निदेशालय हेतु	
1.	कार्यालय अधीक्षक	7000–150–8000
2.	वरिष्ठ सहायक	4500–125–7000
3.	कनिष्ठ लिपिक	4000–100–6000
4.	कनिष्ठ लिपिक	3050–75–3800–80–4590
5.	आशुलिपिक	4000–100–6000
	अधीनस्थ कार्यालय हेतु	
1.	वरिष्ठ सहायक	4500–125–7000
2.	कनिष्ठ लिपिक	4000–100–6000
3.	कनिष्ठ लिपिक	3050–75–3800–80–4590
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष	5000–150–8000
5.	स्टुवर्ड एवं भण्डारी	–

4. उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991 के भाग–सात के नियम 23 अपसारित समझे जायेंगे।

5. उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991 के भाग–चार के नियम 10 में अधिकतम आयु सीमा 32 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष पढ़ी जायेगी।

([illegible])

6. उत्तर प्रदेश [illegible] एवं [illegible] विभाग [illegible] सेवा नियमावली, [illegible] उल्लिखित पदों के [illegible] पर निम्न [illegible] में [illegible] जायेंगे :

परिशिष्ट

क्र०सं०	पदनाम	पदों की संख्या
	[illegible] हेतु	
1.	[illegible]	1
2.	[illegible]	2
3.	[illegible] लिपिक	2
4.	[illegible] लिपिक	2
5.	आशुलिपिक	1
	[illegible] कार्यालय हेतु	
1.	वरिष्ठ सहायक	3
2.	वरिष्ठ लिपिक	15
3.	कनिष्ठ लिपिक	[illegible]
4.	पुस्तकालयाध्यक्ष	1
5.	स्टोर्स एवं भण्डारी	-

आज्ञा से,
आलोक कुमार जैन,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 30–11–2002, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी०एस०यू० (आर०ई०) 69 चिकित्सा / [illegible]–17–01–2003–200 (कम्प्यूटर / [illegible])।

उत्तर प्रदेश सरकार
चिकित्सा (शिक्षा) विभाग

अनुभाग--9

अधिसूचना

22 जुलाई, 1991 ई०

सं० 4333-सेड-9/पांच-617-77—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991 ।

भाग-एक--सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली, उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 1991 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2—सेवा की प्रास्थिति--उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय सेवा एक अराजपत्रित सेवा है । जिसमें समूह "ग" के पद सन्निविष्ट हैं ।

3—परिभाषायें--जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में--

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य निदेशक से है;

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो संविधान के भाग-2 के अधीन भारत का नागरिक हो, या समझा जाय;

(ग) "आयोग"का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है;

(ङ) "निदेशक" और "उप निदेशक" का तात्पर्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश के क्रमशः निदेशक और उप-निदेशक से है;

(च) "निदेशालय" का तात्पर्य निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी के लखनऊ स्थित कार्यालय से है;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(झ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संबंध में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग लिपिक वर्गीय क्षेत्र से है ;

(ट) "अधीनस्थ कार्यालय" का तात्पर्य क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों के कार्यालय, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के कार्यालय, राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, उत्तर प्रदेश के अधीक्षक के कार्यालय से है;

(ठ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संबंध में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो, और यदि कोई नियम न तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी है;

(ड) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग-दो--संवर्ग

4--सेवा का संवर्ग--(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

(2) जब तक कि उक्त नियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायं, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है ।

परन्तु--

(क) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा;

(ख) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जो वह उचित समझें ।

भाग-तीन—भर्ती

5—भर्ती का स्रोत— सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:-

	निदेशालय
1—ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	निदेशालय और अधीनस्थ कार्यालयों के मौलिक रूप से नियुक्त प्रशासनिक अधिकारियों और वैयक्तिक सहायकों में से, पदोन्नति द्वारा ।
2—प्रशासनिक अधिकारी	निदेशालय के मौलिक रूप से नियुक्त कार्यालय अधीक्षकों में से, पदोन्नति द्वारा ।
3— कार्यालय अधीक्षक	निदेशालय के मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायकों में से, पदोन्नति द्वारा ।

4—ज्येष्ठ सहायक	अधीनस्थ कार्यालयों के मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ सहायकों और निदेशालय के मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ लिपिकों में से, पदोन्नति द्वारा।
5—ज्येष्ठ लिपिक	निदेशालय के मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों में से, पदोन्नति द्वारा।
6—लेखा लिपिक	निदेशालय के मौलिक रूप से नियुक्त उन कनिष्ठ लिपिकों में से, जिनके पास बी०काम० की उपाधि हो, पदोन्नति द्वारा।
7—कनिष्ठ लिपिक	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा परन्तु निदेशालय में कनिष्ठ लिपिकों की पन्द्रह प्रतिशत तक रिक्तियां सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार निदेशालय के समूह "घ" के उन कर्मचारियों में से जो हाई स्कूल उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती हैं।
8—निदेशक का आशुलिपिक	मौलिक रूप से नियुक्त आशुलिपिकों, में से, पदोन्नति द्वारा।
9—आशुलिपिक	आयोग के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा।

2—अधीनस्थ कार्यालय

1—ज्येष्ठ सहायक	अधीनस्थ कार्यालयों के मौलिक रूप से नियुक्त ज्येष्ठ लिपिकों में से, पदोन्नति द्वारा।
2—ज्येष्ठ लिपिक	अधीनस्थ कार्यालयों के मौलिक रूप से नियुक्त स्टूवर्ड और भण्डारी (स्टोरकीपर) और कनिष्ठ लिपिकों में से, पदोन्नति द्वारा।
3—कनिष्ठ लिपिक	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा : परन्तु अधीनस्थ कार्यालयों में कनिष्ठ लिपिकों की पन्द्रह प्रतिशत तक रिक्तियां सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों के समूह "घ" के उन कर्मचारियों में से जो हाई स्कूल उत्तीर्ण हों, पदोन्नति द्वारा भरी जा सकती हैं।
4—लेखा लिपिक	अधीनस्थ कार्यालयों के मौलिक रूप से नियुक्त उन कनिष्ठ लिपिकों में से जिनके पास बी०काम० की उपाधि हो, पदोन्नति द्वारा।
लेखाकार एवं सांख्यिक	अधीनस्थ कार्यालयों के मौलिक रूप से नियुक्त उन कनिष्ठ लिपिकों में से जिनके पास बी०काम० की उपाधि हो, पदोन्नति द्वारा।
5—आशुलिपिक	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
6—पुस्तकालयाध्यक्ष	आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
7—स्टूवर्ड एवं भण्डारी	अधीनस्थ कार्यालयों के मौलिक रूप से नियुक्त कनिष्ठ लिपिकों पदोन्नति द्वारा।

6—आरक्षण—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग-चार—अर्हता

7—राष्ट्रिकता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी किया जाय।

8—शैक्षिक अर्हता— सेवा में विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हता हो :

पद	अर्हता
1—आशुलिपिक	1—उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् से इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। 2—हिन्दी आशुलिपि एवं टंकण के ज्ञान सहित क्रमशः 80 और 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होनी चाहिये ।
2—कनिष्ठ लिपिक	उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये । परन्तु यदि उस पद हेतु जिसके लिये टंकण अनिवार्य हो सीधी भर्ती की जानी हो तो केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में विचार किया जायेगा, जो हिन्दी टंकण जानते हों । और योग्यता का अंतिम निर्धारण तभी किया जायेगा जब हिन्दी टंकण में प्राप्त अंकों को जोड़ लिया जाय ।
3—पुस्तकालयाध्यक्ष	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में स्नातक ।

9—अधिमानी अर्हता—अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा । जिनमें:—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो ।

10—आयु—कनिष्ठ लिपिक और आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिये किसी अभ्यर्थी की आयु, उस कैलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस को, जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती के लिये रिक्तियां विज्ञापित की जांय, 18 वर्ष की हो जानी चाहिये । और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये और पुस्तकालयाध्यक्ष पद के लिए 21 वर्ष की हो जानी चाहिए और 32 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित हो जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय ।

11—चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके ।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे ।

12—वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान है ।

13—शारीरिक स्वस्थता—किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह फाइनेंशियल हैण्डबुक खण्ड दो, भाग-तीन के अध्याय तीन में दिये गये और फन्डामेन्टल रूल नं० 10 के अधीन बताए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किए गए अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

भाग-पांच—भर्ती की प्रक्रिया

14—रिक्तियों का अवधारण—नियुक्ति प्राधिकारी, वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम-6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा ।

15—सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के लिये आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विज्ञापित विहित प्रपत्र में आमंत्रित किये जायेंगे ।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण–पत्र न हो।

(3) लिखित परीक्षा का परिणाम प्राप्त होने और अभिलेखबद्ध कर लिए जाने के पश्चात् आयोग अभ्यर्थियों को प्रवीणता क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किये गये अंकों के कुल योग से प्रकट होता, एक सूची तैयार करेगा और उतनी संख्या में अभ्यर्थियों की सिफारिश करेगा जितनी वह नियुक्ति के लिए उचित समझे। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक, (किन्तु 25 प्रतिशत से अनधिक) होगी। आयोग नियुक्ति प्राधिकारी को सूची अग्रसारित कर देगा।

16—पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(एक) निदेशक	अध्यक्ष
(दो) उप निदेशक, प्रशासन कार्य से संबंधित	सदस्य
(तीन) निदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय का प्रधानाचार्य या क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/यूनानी अधिकारी	सदस्य

(2) नियुक्ति प्राधिकारी उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूचियां तैयार करेगा और उन्हें अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों और उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ जिन्हें वह उचित समझे, चयन समिति के समक्ष रखेगा :

परन्तु जहां दो निम्न पोषक संवर्ग हों वहां:—

(क) निम्न वेतनमान होने की स्थिति में उच्चतर वेतनमान वाले संवर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा ;

(ख) समान वेतन मान होने की स्थिति में पात्रता सूची में अभ्यर्थियों के नाम अपने-अपने संवर्ग में उनकी मौलिक नियुक्ति के दिनांक के क्रम में रखे जायेंगे;

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामले में विचार करेगी।

(4) चयन समिति चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में जैसा कि वह उस संवर्ग में जो जिससे उन्हें पदोन्नति किया जाना है एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

सात–छः–नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

17—नियुक्ति—(1) मौलिक रिक्तियां होने पर नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम यथास्थिति नियम–15 या 16 के अधीन तैयार की गई सूची में आये हों।

(2) यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसे कि यथास्थिति चयन में अवधारित की जाय, या जैसी कि उस संवर्ग में हो जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय।

18—परिवीक्षा—(1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्ति किये जाने पर किसी व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे अलग-अलग मामलों में परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा जब तक कि अवधि बढ़ायी जाय :

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गई परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त प्रयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर यदि कोई हो प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(4) उप नियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा।

19—स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसको नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय,

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय, और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

20—ज्येष्ठता—(1) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, ज्येष्ठ सहायक, ज्येष्ठ लिपिक, लेखालिपिक, स्टूवर्ड एवं भन्डारी, लेखाकार एवं सांख्यिक और निदेशक के आशुलिपिक के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता वही होगी जो विभाग के

5

...र्गों में उनके मौलिक पोषक पद पर निर्धारित की गई हो ...र पदोन्नति के पश्चात प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिये ...ष्ठता सूची पृथक रूप से तैयार नहीं की जायेगी।

(2) निदेशालय या अधीनस्थ कार्यालयों में किसी ...न चयन के परिणाम के आधार पर कनिष्ठ लिपिक, ...शुलिपिक और पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर सीधी भर्ती ...रा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी ...आयोग द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु सीधी भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ...ष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का उसे प्रस्ताव ...ये जाने पर वह विधिमान्य कारणों के बिना कार्यभार ...ग्रहण करने में विफल रहे। कारणों की विधिमान्यता के ...सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की ...परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो ...जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया हो।

भाग-सात—वेतन इत्यादि

21—वेतनमान—इस नियमावली के प्रारम्भ के समय ...वेतनमान परिशिष्ट में दिये गये हैं।

22—परिवीक्षा अवधि में वेतन—(1) फन्डामेन्टल रूल्स ...में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी किसी परिवीक्षाधीन ...व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो समय-...मान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने एक वर्ष ...की सन्तोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष ...की सेवा के पश्चात् तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि ...पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यदि सन्तोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा ...अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना ...वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति ...प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से सरकार के अधीन कोई ...पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फन्डा-...मेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा ...अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गई अवधि की गणना ...वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति ...प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलाप के सम्बन्ध में सामान्यतया सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

23—दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड—किसी व्यक्ति को दक्षता रोक पार करने की अनुमति नहीं दी जायेगी जब तक कि—

(1) उसका कार्य और आचरण सन्तोषजनक न पाया जाय;

(दो) उसने तत्परता पूर्वक और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो; और

(तीन) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय।

भाग-आठ—अन्य उपबन्ध

24—पक्ष समर्थन—किसी पद पर या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न अन्य सिफारिश पर चाहे लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा।

25—अन्य विषयों का विनियमन—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विशिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्य-कलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

26—सेवा की शर्तों में शिथिलता—जब राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है वहां वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्य पूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे। अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

27—व्यावृत्ति—इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा। जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट

[नियम 4 (2) और 21 (2) देखिये]

पद का नाम	पदों की संख्या			वेतनमान
	स्थायी	अस्थायी	योग	
2	3	4	5	6
		निदेशालय		रुपये
ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	—	1	1	2000-60-2300-द० रो०-75-3200।
प्रशासनिक अधिकारी	2	—	2	1640-60-2600-द० रो०-75-2900।

1	2	3	4	5	6	
					रुपये	
3	कार्यालय अधीक्षक	4	—	4	1400-40-1600-50-2300-द0 रो0-60-2600	
4	निदेशक का आशुलिपिक	1	—	1	1400-40-1600-50-2300-द0 रो0-60-2600	
5	ज्येष्ठ सहायक	14	—	14	1400-40-1800-द0 रो0-50-2300	
6	आशुलिपिक	5	—	5	1200-30-1560-द0 रो0-40-2040	
7	ज्येष्ठ लिपिक	12	—	12	1200-30-1560-द0 रो0-40-2040	
8	कनिष्ठ लिपिक	18	—	18	950-20-1150-द0 रो0-25-1500	—
9	लेखा लिपिक	1	—	1	1200-30-1560-द0 रो0-40-2040	
			अधीनस्थ कार्यालय			
1	ज्येष्ठ सहायक	44	16	60	1200-30-1560-द0 रो0-40-2040	
2	ज्येष्ठ लिपिक	58	16	74	1200-30-1560-द0 रो0-40-2040	
3	कनिष्ठ लिपिक	111	25	136	950-20-1150-द0 रो0-25-1500	
4	स्टुवर्ड एवं भण्डारी	6	—	6	975-25-1150-द0 रो0-30-1660	
4	पुस्तकालयाध्यक्ष	4	—	4	2000-60-2300-द0 रो0-75-3200	
6	लेखा लिपिक	7	—	7	1200-30-1560-द0 रो0-40-2040	
7	लेखाकार एवं सांख्यक	1	—	1	1200-30-1560-द0 रो0-40-2040	

आज्ञा से,
एस0 पी0 आर्य,
सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 4333-Sec./9-5—617-77, dated July 22, 1991:

No. 4333-Sec./9-5—617-77
July 22, 1991

In exercise of the powers conferred by the proviso of Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and the conditions of service of persons appointed to the Uttar Pradesh Ayurvedic and Unani Department Ministerial Service:

THE UTTAR PRADESH AYURVEDIC AND UNANI DEPARTMENT MINISTERIAL SERVICE RULES, 1991

1. **Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Uttar Pradesh Ayurvedic and Unani Department Ministerial Service Rules, 1991.

(ii) They shall come into force at once.

2. **Status of the service.**—The Uttar Pradesh Ayurvedic and Unani Department Ministerial Service is a non-gazetted government service comprising Group "C" posts.

3. **Definitions.**—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context—

(*a*) "appointing authority" means the Director;

(*b*) "citizen of India" means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part-II of the Constitution;

(*c*) "Commission" means the Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission;

(*d*) "Constitution" means the Constitution of India;

(*e*) "Director" and "Deputy Director" respectively means the Director and Deputy Director of Ayurvedic and Unani Services, Uttar Pradesh.

(*f*) "Directorate" means the office of the Director of Ayurvedic and Unani at Lucknow;

(*g*) "Government" means the State Government of Uttar Pradesh;

(*h*) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh;

(*i*) "member of the service" means a person substantively appointed under these rules or the rules or orders in force

उत्तरांचल शासन
चिकित्सा अनुभाग-1
संख्या : 721 /चि-1-2002-81/2002
देहरादून : दिनांक 07 नवम्बर, 2002

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 87 के अधीन, उत्तरांचल शासन, उत्तरांचल राज्य के संबंध में लागू विधि को, आदेश द्वारा, निरसन के रूप में, ऐसे अनुकूलन तथा उपान्तर कर सकती है जो आवश्यक व समीचीन हो;

तथा चूंकि उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979 उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 86 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य में यथावत लागू है;

अतः अब उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (अधिनियम संख्या 29 सन् 2000) की धारा 87 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल सहर्ष निर्देश देते है कि उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979 उत्तरांचल में निम्नलिखित प्राविधानों के अध्याधीन लागू रहेंगा:-

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ :-

(1) यह आदेश उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 कहलायेगा।

(2) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

2. "उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तरांचल" पढ़ा जाना :- उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979 में जहां-जहां शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है, वहां-वहां वह शब्द "उत्तरांचल" के रूप में पढ़ा जायेगा।

3. उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979 के भाग-सात के नियम 20 के उपनियम 2 पद एवं वेतनमान निम्नवत पढ़े जायेंगे :-

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान
1.	अन्ध कक्ष सहायक	3050-75-3800-80-4590
2.	प्रयोगशाला सहायक	4500-125-7000
3.	प्राविधिक सहायक	4500-125-7000
4.	एक्स-रे प्राविधिक	4000-1000-6000

4. उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979 के भाग-सात नियम 22 अपसारित समझे जायेंगे।

5. उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979 के भाग-चार के नियम 10 में अधिकतम आयुसीमा 32 वर्ष के स्थान पर 35 वर्ष पढ़ी जायेगी।

6. परिशिष्ट

भाग-दो नियम 4(2) देखें, वर्तमान में स्थिति

क्र0सं0	पदनाम	पदो की संख्या
1.	अन्ध कक्ष सहायक	1
2.	प्रयोगशाला सहायक	9
3.	प्राविधिक सहायक	7
4.	एक्स-रे प्राविधिक	2

आज्ञा से,
आलोक कुमार जैन
सचिव

संख्या : 721 (1)/चि0-1-2002-81/2002 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन।
4. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तरांचल।
5. निजी सचिव, मा0 स्वास्थ्य मंत्री, उत्तरांचल को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कर इसकी 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव

संख्या
विविध

13 मई, 1980

सं0 1-21(1)/9-192-75--संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979

भाग एक– सामान्य

1–संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा नियमावली, 1979 कही जायगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2– सेवा की प्रास्थिति–उत्तर प्रदेश राज्य आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा एक अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा है, जिसमें समूह "ग" और "घ" के पद सम्मिलित हैं ।

3– परिभाषायें–जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य निदेशक से है,

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय,

(ग) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है,

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, आयुर्वेदिक और यूनानी सेवायें, उत्तर प्रदेश से है,

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है,

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है,

(ज) "प्रधानाचार्य" का तात्पर्य राज्य के आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय और चिकित्सालय के प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक से है,

(झ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय अधीनस्थ (प्राविधिक) सेवा से है, और

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेन्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

भाग दो —-संवर्ग

4–सेवा का संवर्ग–(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय ।

———2/

[illegible]

[illegible] सेवा की सदस्य संख्या [illegible] श्रेणी में पदों की संख्या जब तक कि उप नियम (1) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, उतनी होगी, जितनी परिशिष्ट "क" में दी गई है,

परन्तु—

(1) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा, या

(2) राज्यपाल समय समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें ।

भाग तीन – भर्ती

5 – भर्ती का स्रोत–आरक्षण–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती सीधी भर्ती द्वारा की जायगी ।

6– अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा ।

भाग–चार–अर्हतायें

7– राष्ट्रीयता–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका और केनिया उगाण्डा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायगी कि वह पुलिस उप–महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त करले:

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो, तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर लें ।

टिप्पणी–ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय ।

8– शैक्षिक अर्हता–सेवा में [illegible] पदों पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हतायें होनी चाहिए:– [illegible]

—3/

[illegible]

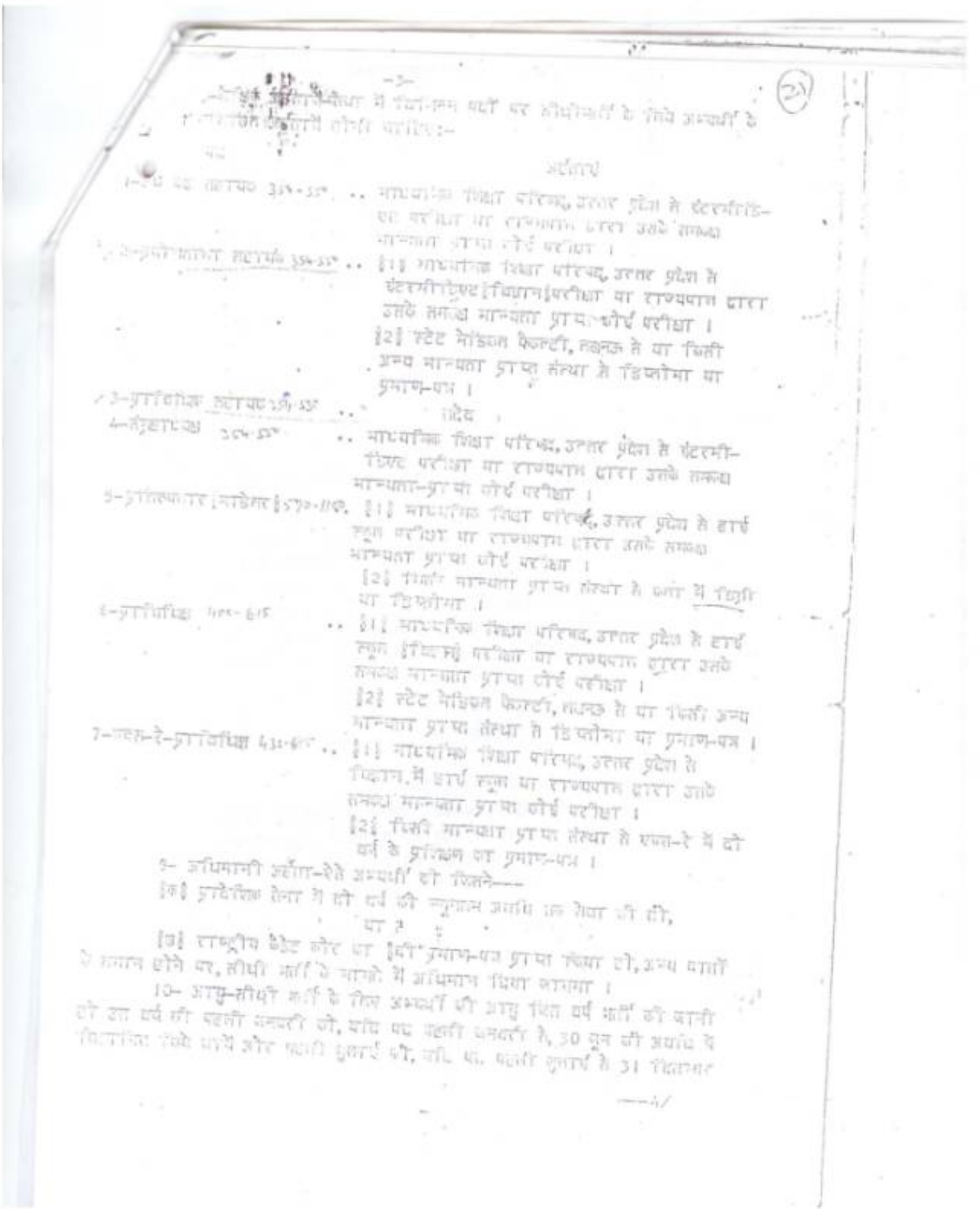

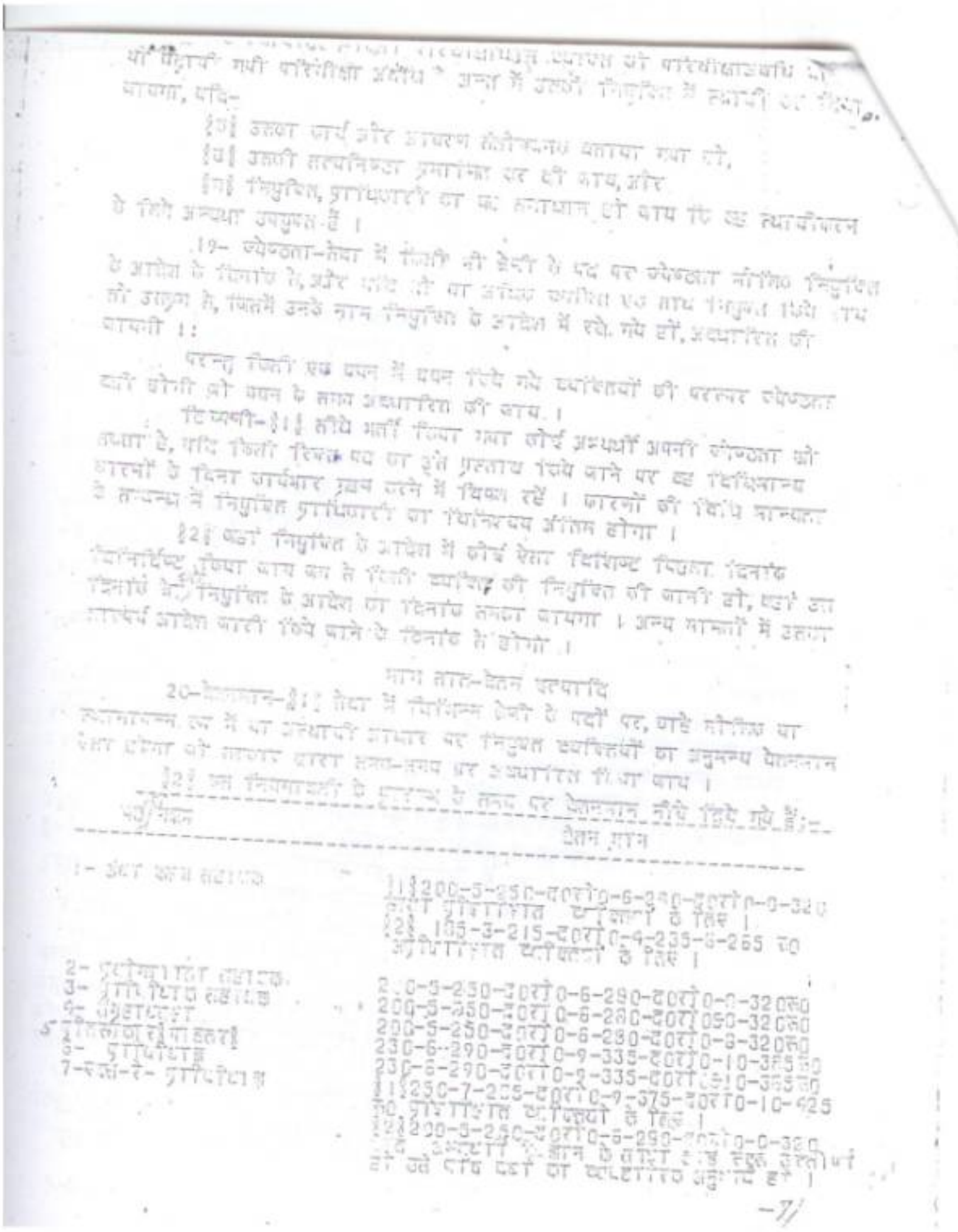

: 7 :

3. 185-3-215-द0रो0-5-235-द0रो0 -6-265रु0
अधिशासी कार्मिकों के लिये ।

21- परिवीक्षा अवधि में वेतन-(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समय-मान में उसकी प्रथम वेतन वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोष-प्रद सेवा पूरी कर ली है और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो:

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(2) ऐसे व्यक्ति को, जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाए तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

(3) ऐसे व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्य-कलापों के संबंध में सामान्यतया सेवारत/सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

22- दक्षता रोक पार करने का मानदण्ड-- किसी व्यक्ति को--

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने परिश्रम से और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से कार्य न किया हो, उसने अपने कार्य में अच्छे व्यावसायिक कौशल का प्रदर्शन न किया हो और उसका कार्य और आचरण अन्यथा संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग आठ-- अन्य उपबन्ध

23- पक्ष समर्थन-- किसी पद या सेवा पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी अन्य सिफारिश, पर चाहें लिखित हो या मौखिक विचार नहीं किया जायगा । अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता हेतु से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

24- अन्य विषयों का विनियमन-- ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

--8/

25- सेवा शर्तों में शिथिलता-- जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

26- व्यावृत्ति- इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

आज्ञा से,
अवतार आलम,
सचिव,

उत्तराखण्ड शासन

संख्या–306/XXXX–2011–88/2011

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, आयुष/निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादून, दिनांक 02 अप्रैल, 2012

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग–

विषय : आयुर्वेद एवं यूनानी विभाग के फार्मेसिस्ट संवर्ग के वेतनमानों का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण/विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समिति की संस्तुति के क्रम में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 303/XXVii(7)40(14)/2011, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के फार्मेसिस्ट सेवा संवर्ग के पदों का निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या–2 एवं 3 में अंकित वर्तमान वेतनमान को कॉलम संख्या–4 में अंकित विवरणानुसार तत्काल प्रभाव से उच्चीकृत/संशोधित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	वर्तमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था
	पदनाम/वेतनमान (₹)	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (₹)	पदनाम/उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान (₹)
1	2	3	4
1.	फार्मेसिस्ट/ 4,500–7,000	वेतन बैण्ड–2 5,200–20,200 ग्रेड पे–2,800	02 वर्ष की सेवा पर नॉन फंक्शनल वेतनमान 9,300–34,800, ग्रेड पे–4,200
2.	चीफ फार्मेसिस्ट/ 5,500–9,000	वेतन बैण्ड–2 9,300–34,800 ग्रेड पे–4,200	वेतमन बैण्ड–2 9,300–34,800, ग्रेड पे–4,600
3.	प्रभारी अधिकारी फार्मेसी/ 7,450–11,500,	वेतन बैण्ड–2 9,300–34,800 ग्रेड पे–4,600	वेतमन बैण्ड–2 9,300–34,800, ग्रेड पे–4,800

2. उक्त पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान में वेतन का निर्धारण शासनादेश संख्या 395/XXVii(7)2008, दिनांक 17.10.2008 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 232XXVII(7)2011, दिनांक 30 मार्च, 2012 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 23–6–2012, भाग–1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 आयुष/529–8–8–2012–200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन

संख्या 154 / XXXX–2011–88 / 2011

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक, आयुष / निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

देहरादून दिनांक 16 फरवरी, 2012

विषय : वेतन विसंगति समिति के 14वें प्रतिवेदन में आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के नर्सेज संवर्ग के कार्मिकों के वेतनमान उच्चीकरण के सम्बन्ध में समिति द्वारा दी गई संस्तुति पर लिये गये निर्णय का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक विभिन्न वर्ग के कार्मिकों के वेतनमान आदि के पुनरीक्षण / विसंगतियों पर विचार हेतु प्रदेश में गठित वेतन विसंगति समति की संस्तुति के क्रम में वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 299 / XXVii(7)40(14) / 2011, दिनांक 13 दिसम्बर, 2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के आयुर्वेदिक एवं यूनानी नर्सिंग सेवा संवर्ग के पदों का निम्नलिखित तालिका के कॉलम संख्या–2 एवं 3 में अंकित वर्तमान वेतनमान को कॉलम संख्या–4 एवं 5 में अंकित विवरणानुसार दिनांक 01.01.2006 से प्राकल्पित रूप से उच्चीकृत / संशोधित करते हुये उसका नकद भुगतान शासनादेश निर्गत किये जाने की तिथि से अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	वर्तमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था	
	पदनाम / वेतनमान (₹)	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (₹)	पदनाम / उच्चीकृत / संशोधित वेतनमान (₹)	दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन (₹)
1	2	3	4	5
1.	स्टाफ नर्स / 5,000–8,000	वेतन बैण्ड–2 9,300–34,800, ग्रेड पे–4,200	7,450–11,500	वेतन बैण्ड–2 9,300–34,800, ग्रेड पे–4,600
2.	सिस्टर / 5,500–9,000	वेतन बैण्ड–2 9,300–34,800, ग्रेड पे–4,200	7,500–12,000	वेतन बैण्ड–2 9,300–34,800, ग्रेड पे–4,800
3.	सिस्टर ट्यूटर / 6,500–10,500	वेतन बैण्ड–2 9,300–34,800, ग्रेड पे–4,200	7,500–12,000	वेतन बैण्ड–2 9,300–34,800, ग्रेड पे–4,800
4.	मेटर्न / सहायक मेटर्न 6,500–10,500	वेतन बैण्ड–2 9,300–34,800, ग्रेड पे–4,200	8,000–13,500	वेतन बैण्ड–2 9,300–34,800, ग्रेड पे–5,400

2. उक्त पुनरीक्षित किये जा रहे वेतनमान में वेतन का निर्धारण शासनादेश संख्या 395/xxvii(7)2008, दिनांक 17.10.2008 में निहित प्राविधानों के अनुसार किया जावेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या 129/XXVII (7)2011 दिनांक 28 दिसम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

एम0एच0,खान,
सचिव।

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 16–6–2012, भाग–1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 आयुष/523–7–8–2012–200 (कम्प्यूटर/सीजियो)।